मैनेज-अंकुर

वर्ष: 4 अंक: 1

जनवरी - जून 2025

कृषि विपणन प्रणाली में परिवर्तन

पोषण पखवाड़ा 2025

प्राकृतिक कृषि पद्धतियों में एफपीओ

स्वागतम्
MANAGE
कविता पठन प्रतियोगिता
एवं
टिप्पण व प्रारूप लेखन तथा हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

मैनेज-अंकुर

वर्ष:4 अंक:1 जनवरी - जून, 2025

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)

राजेंद्रनगर, हैदराबाद – 500030, तेलंगाना, भारत

www.manage.gov.in

विषय सूची

कृषि व्यवसाय लेख

कृषि विपणन प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता	9
किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और उनके संघों के लिए ई-नाम	12
किसान उत्पादक संगठनों की अगली पीढ़ी के रूप में संघ	16
किसान उत्पादक संगठन : टिकाऊ कृषि के लिए नए युग का साधन	21
वैज्ञानिक विधि से जायद मौसम में हरी खाद उत्पादन तकनीक	26
जेंडर समानता को सशक्त बनाने के लिए जेंडर संवेदनशीलता	29

तकनीकी लेख

कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स के लिए आधुनिक वीडियो निर्माण तकनीकें	32

सफलता की कहानी

प्राकृतिक कृषि पद्धतियों में एफपीओ और संघों को बढ़ावा देना	37

मैनेज के विशिष्ट कार्य

मैनेज में पोषण पखवाड़ा-2025	41
मैनेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस -2025	43
काश वे दिन लौट आते..। – एक कविता	45
अस्पतालों से परे स्वास्थ्य	46
कृषि कार्टून	47

संरक्षक

डॉ. सागर हनुमान सिंह, आईपीओएस,
महानिदेशक
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

संपादक

डॉ. के. सि. गुम्मगोलमठ,
राजभाषा अधिकारी
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

उप संपादक

डॉ. के. श्रीवल्ली, सहायक निदेशक (राजभाषा)
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

प्रूफ रीडिंग

सुश्री पुजा दास, वरिष्ठ अनुवादक
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

टंकण

नवेन्दु कुमार, हिन्दी टाईपिस्ट
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

डिजाईन

श्रीमती अर्चना गोगीकर, मल्टीमीडिया एडिटर
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। कार्यालय का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्र व्यवहार का पता:

संपादक

राजभाषा अधिकारी
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030, तेलंगाना, भारत

नि:शुल्क वितरण के लिए

महानिदेशक का संदेश

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो भारत में कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करता है। मैनेज का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में विस्तार और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना तथा किसानों को प्रशिक्षण, परामर्श और अनुसंधान के माध्यम से सशक्त बनाना है। मैनेज विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, बाजार की जानकारी और सरकारी योजनाओं से जोड़ता है। इसका लक्ष्य किसानों की आजीविका में सुधार करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस प्रकार, मैनेज भारत के कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रकाशन किसी भी संस्थान के ज्ञान को साझा करने और उसे जन-जन तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है। मैनेज इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है और अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचा रहा है। इसी श्रृंखला में, मैनेज की अर्ध वार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका 'मैनेज अंकुर' का सातवाँ अंक जनवरी-जून, 2025 का प्रकाशन किया गया है। 'मैनेज-अंकुर' के सातवें अंक में हमने विशेष रूप से कृषि व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया है। इस अंक में किसानों की सफलता की कहानियाँ, कृषि से संबंधित तकनीकी लेख और मैनेज की विभिन्न गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। हमें आशा है कि यह अंक किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त करने और विपणन की चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। यह पत्रिका मैनेज के ज्ञान और अनुभव को साझा करने का एक प्रयास है।

'मैनेज-अंकुर' का यह सातवाँ अंक हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि है। पिछले छह अंकों ने तकनीकी गृह पत्रिका की श्रेणी में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-4 से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। यह पुरस्कार पत्रिका की गुणवत्ता और उसमें प्रस्तुत की गई सामग्री के महत्व को दर्शाता है। इस अंक में प्रकाशित लेख और सफलता की कहानियाँ पाठकों, विशेष रूप से किसानों और कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगी। ये लेख उन्हें नए विचार और तकनीकें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वे अपनी कृषि आय को बढ़ा सकेंगे।

हमें पूर्ण विश्वास है कि 'मैनेज अंकुर' का यह अंक हमारे पाठकों, किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के लिए अत्यंत रोचक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ कृषि ज्ञान के प्रसार में 'मैनेज अंकुर' की यात्रा निरंतर बनी रहेगी। आपकी राय, सुझाव और टिप्पणियाँ हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस अंक को पढे और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। आपका राय, सुझाव और टिप्पणियाँ हमें इस पत्रिका को बेहतर बनाने में मदतगार सिद्ध होगी।

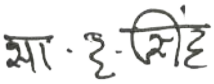

(डॉ. सागर हनुमान सिंह, आईपीओएस)
महानिदेशक

संपादकीय

मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अर्ध-वार्षिक हिंदी पत्रिका 'मैनेज अंकुर' के छठे अंक की सफलता के बाद, सातवां अंक अब आपके हाथों में है। यह अंक भी कृषि क्षेत्र में ज्ञान और प्रेरणा का एक नया स्रोत लेकर आया है। इस संस्करण में हमने कृषि विपणन, सफल किसानों की कहानियाँ, तकनीकी लेखों और मैनेज की विभिन्न गतिविधियों जैसे पोषण पखवाड़ा-2025, महिला किसान दिवस-2025 आदि को मुख्य रूप से शामिल किया है। हमारा उद्देश्य इस पत्रिका के माध्यम से कृषि जगत की महत्वपूर्ण जानकारी को आप तक सरल और सहज भाषा में पहुंचाना है।

अक्सर किसान अच्छी फसल तो उगा लेते हैं, लेकिन उन्हे अपनी उपज के लिए सही कीमत नहीं मिल पाती। किसान उत्पादक कंपनियाँ कृषि व्यवसाय से संबंधित जानकारी उन्हें मौसम अनुसार क्या उगाना है और अपनी उपज को बेहतर तरीके से बेचने, बाजार की मांग को समझने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। सफल किसान कहानियाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए प्रेरणा का काम करेंगी। ये कहानियाँ उन्हें नई तकनीकों और सफल मॉडलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। साथ ही, तकनीकी लेख उन्हें खेती को और अधिक वैज्ञानिक और कुशल बनाने के तरीके सिखाएंगे। यह पत्रिका केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शहरी पाठकों को भी कृषि और किसानों की दुनिया से जोड़ेगी। शहरी लोग भी पोषण सुरक्षा हेतु कृषि उत्पादों के महत्व और उनके उत्पादन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।

हर्ष की बात है कि हमारे संस्थान में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। साथ ही कृषक समाज के हित में हिन्दी भाषा में प्रकाशित होने वाली हमारी यह गृह पत्रिका कृषि से जुड़ी नवीन समाचार को लोगों तक पहुचाने में सफल हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप मैनेज की इस गृह पत्रिका को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी हिन्दी गृह पत्रिका की श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह हमारे संस्थान की राजभाषा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हमें इस पर गर्व है। हमारा प्रयास है कि हम राजभाषा के माध्यम से कृषि संबंधी ज्ञान को देश के कोने-कोने तक पहुंचाएं। आशा है कि 'मैनेज अंकुर' का यह अंक किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और बाजार की बदलती जरूरतों से अवगत कराएगी। यह पत्रिका सिर्फ एक प्रकाशन नहीं, बल्कि किसानों के सशक्तीकरण की दिशा में हमारा प्रयास भी है। हमें पूरा विश्वास है कि 'मैनेज अंकुर' के इस अंक को पढ़कर कृषक समाज अपने जीवन और खेती में सकारात्मक बदलाव ला पाएगा।

(डॉ. के. सि. गुम्मगोलमठ)
राजभाषा अधिकारी

कृषि विपणन प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता

डॉ. शैलेन्द्र
निदेशक, (कृषि विपणन)
मैनेज, हैदराबाद
ईमेल : shalendra@manage.gov.in

डॉ. के. सि. गुम्मगोलमठ, निदेशक (एम व ई), मैनेज, हैदराबाद

कृषि का रुझान वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शहरीकरण और सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूकता जैसे कारकों के कारण बदल गया है। इसके अलावा, वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भी बदलाव आया है। ऐसी परिस्थितियों में, कृषि क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए उत्पादन के साथ-साथ एक जीवंत कृषि विपणन प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे कि एक ओर किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके। कोई भी नया कृषि व्यवसाय मॉडल किसानों को शामिल करने वाला होना चाहिए, खासकर जब उनमें से अधिकांश छोटे और मझोले किसान हो और कम उपज बाजार के लिए उत्पन्न कर रहे हों। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कृषि विपणन विभागों की भागीदारी और उत्पादन विभागों की सक्रिय भूमिका भी शामिल होनी चाहिए। बाजार की मांग के अनुसार वर्तमान में किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए उत्पादन विभागों का ध्यान बाजार-आधारित-विस्तार पर होना चाहिए। साथ ही, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि विपणन में सुधारों के माध्यम से एक व्यवस्थित परिवर्तन की भी आवश्यकता है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है, परंतु मौजूदा प्रणाली की ताकत और व्यापारियों और कमीशन एजेंटों जैसे इसके प्रतिभागियों की सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कृषि विपणन कई चुनौतियों जैसे छोटे-छोटे भागों में रहना, पर्याप्त बाजारों की कमी, विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अलग-अलग बाजार शुल्क लाइसेंसिंग, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, कटाई के बाद अधिक नुकसान, सूचना में विसंगति, विपणन वित्त और किसानों में विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता की कमी से बाधित है। कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत और किसान अनुकूल बनाने के लिए उभरते विपणन मॉडल और इन चुनौतियों पर काबू पाने की उनकी क्षमता के संदर्भ में कृषि विपणन प्रणाली में अनुभव किए गए कुछ प्रमुख परिवर्तनों पर चर्चा करना आवश्यक है।

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

राष्ट्रीय कृषि बाजार सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य कृषि विपणन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक एकीकृत बाजार की स्थापना करना है। इस अवधारणा ने 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 1522 बाजारों के साथ उचित प्रगति की है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 1.78 करोड़ से अधिक किसान और 2.65 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं। 4404 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) इस बाजार को एक व्यापक मंच बनाती है। यह पारंपरिक प्रणाली की तुलना में, पारदर्शिता, अन्य बाजारों तक पहुंच, ऑनलाइन भुगतान, बैंक, ग्रेडिंग और परख, गोदामों जैसी सेवाओं का एकीकरण और वास्तविक समय की जानकारी को इकठ्ठा करना और प्रसारित करना जैसे कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

निजी भागीदारों के स्वामित्व और संचालन वाले वर्चुअल बाज़ार प्लेटफ़ॉर्म में भी वर्तमान समय में किसानों को प्रभावी विकल्प भागीदारी प्रदान करने की क्षमता है। ऐसे 21 राज्य हैं जिनके एपीएमसी अधिनियमों में निजी भागीदारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना का प्रावधान है और 11 राज्यों ने नियमों को अधिसूचित भी किया है। राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में ई-मार्केट प्लेटफ़ॉर्म संचालित हो रहे हैं। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से व्यापार करने में पारदर्शिता और मूल्य निर्धारण में सुधार होता है। एग्री बाज़ार और किसानमंडी, निजी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने के कुछ उदाहरण हैं।

फ़्यूचर्स और ऑप्शन (एफ एंड ओ) बाजार

फ़्यूचर्स और ऑप्शन मार्केट सेबी द्वारा विनियमित तृतीयक बाजार हैं। इन बा जारों को मूल्य निर्धारण और मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए एक साधन माना जाता है। ये प्लेटफ़ॉर्म किसानों को एक प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं, खासकर जब किसान-संगठनों के माध्यम से किसानों के एकत्रीकरण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे बाजार उपकरण बदलते पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। किसान एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के माध्यम से इन प्लेटफ़ॉर्म पर भाग ले सकते हैं। एफपीओ

(किसान उत्पादक संगठन) बुवाई के समय अपनी उपज के लिए एक कीमत लॉक कर सकते हैं ताकि न्यूनतम आय सुनिश्चित हो सके। उपज को एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म पर पहले से तय मूल्य पर या मौजूदा बाजार मूल्य पर स्पॉट मार्केट में, प्रीमियम छोड़कर बेचा जा सकता है। हालांकि, यह भी अनिश्चितताओं से मुक्त नहीं है क्योंकि सेबी ने समय-समय पर चुनिंदा वस्तुओं में वायदा कारोबार (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग) को निलंबित किया है। उदाहरण के लिए, सेबी ने धान (गैर-बासमती), गेहूं, चना, सरसों का बीज और उसके डेरिवेटिव्स, सोयाबीन और उसके डेरिवेटिव्स, क्रूड पाम ऑयल और मूंग सहित 7 वस्तुओं में फ़्यूचर्स कारोबार के निलंबन को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। ऐसे प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता किसानों में जागरूकता और इन प्लेटफॉर्म को उपयोग करने भी निर्भर करती है।

संगठित खुदरा

जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में देखे गए परिवर्तनों के कारण संगठित खाद्य खुदरा श्रृंखलाएँ उभर रही हैं। सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन के प्रति जागरूकता जैसे कारक भी खाद्य खुदरा श्रृंखलाओं की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यह उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों और सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन की डिलीवरी के मामले में विभिन्न लाभ प्रदान करता है। यह किसानों को एक प्रभावी बाजार विकल्प भी प्रदान करता है। अनुबंध खेती, प्रत्यक्ष खरीद और अग्रिम बिक्री जैसे व्यवसाय के नए प्रारूप किसानों को संगठित खुदरा क्षेत्र में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं। बड़े निजी खिलाड़ी संगठित खुदरा क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन कई बार खराब बैकवर्ड लिंकेज के कारण सीधे किसानों से खरीद नहीं कर रहे हैं, जो विचारणीय मुद्दा है।

कृषि – वेयरहाउसिंग क्षेत्र में सुधार

वर्तमान में वेयरहाउस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यह विपणन में सुधार, मजबूरी के कारण फसल बिक्री की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का सीमित प्रावधान और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में सक्षम है। अनुकूल नीतिगत वातावरण, जैसे कि वेयरहाउसिंग के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति, वेयरहाउस निर्माण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी और निर्माण लागत को कवर करने के लिए ब्याज को बहुत कम दर पर ऋण और वेयरहाउसों को बाजार के रूप में संचालित करने का प्रावधान, निजी क्षेत्र के तहत बहुत अधिक भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है। सहकारी क्षेत्र के तहत 70 मिलियन मीट्रिक टन वेयरहाउस क्षमता बनाने पर सरकार का ध्यान इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हालाँकि, इसका लाभ उठाने के अवसरों और साधनों के बारे में उचित जानकारी के अभाव में किसान भंडारण का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे है। किसानों में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है।

अनुबंध खेती

भारतीय कृषि के लिए अनुबंध खेती एक संभावित समाधान है, क्योंकि अधिकांश किसान छोटी जोतों पर खेती कर रहे हैं और उनके पास गुणवत्तापूर्ण इनपुट, तकनीक, ऋण, विस्तार और बाजारों तक पहुंच सीमित है। अनुबंध खेती द्वारा समर्थित फर्म-

फार्म लिंकेज विभिन्न लाभ जैसे जोखिमों को साझा करना, कम लेनदेन लागत, बेहतर उत्पादन और सुनिश्चित बाजार के माध्यम से बेहतर रिटर्न और नई (विशेषकर उच्च मूल्य वाली) किस्मों को उगाने के लिए प्रौद्योगिकी और जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। यह भंडारण जैसे बुनियादी ढांचे तक पहुंच और निर्यात-उन्मुख मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। कार्यकाल, लाभ साझाकरण व्यवस्था, जोखिम साझाकरण और इसके समर्थन के लिए संस्थागत व्यवस्था के संदर्भ में पारदर्शी अनुबंधों की कमी इसकी प्रगति को बाधित कर रही है। दोनों पक्षों द्वारा अनुबंध का उल्लंघन अनुबंध खेती मॉडल के सामने आने वाली एक और चुनौती है।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)

भारत में 14 करोड़ ई-रिटेल खरीदार (2020) हैं, जिन्हें पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन नहीं मिल रहा है। 1.2 करोड़ विक्रेताओं में से केवल 15,000 विक्रेताओं (0.125 प्रतिशत) ने ई-कॉमर्स को अपनाया है। ई-रिटेल अधिकांश विक्रेताओं, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए पहुंच से बाहर रहा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) एक ऐसा मंच है जो भारत में ई-रिटेल की पहुंच को मौजूदा 4.3 प्रतिशत से उसकी वास्तविक क्षमता तक बढ़ाने के इस अनूठे अवसर को पहचानता है। इसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। ओएनडीसी एक ऐसी पहल है जिसका लक्ष्य डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के खुले नेटवर्क पर बढ़ावा देता है। ओएनडीसी ने किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद बेचने में सक्षम बनाकर उनके लिए भी बेहतरीन अवसर प्रदान किए हैं। इस मंच ने 8,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा 3100 से अधिक कृषि वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाया है। इस कदम का उद्देश्य एफपीओ को डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान सुविधाओं और बिजनेस-टु-बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी2सी) लेनदेन तक सीधी पहुंच प्रदान करना है जिससे डिजिटल मार्केटप्लेस में उन्हे एकीकरण की सुविधा मिल सके।

सारांश

निरंतर परिवर्तित व्यापारिक माहौल में कृषि विपणन व्यवस्था को नियामक की नहीं बल्कि सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी होगी। परिवर्तनकारी सुधार अभी भी सीमित हैं - केंद्र और राज्य सरकारों को एक-दूसरे का सहयोग और पूरक बनने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को विनियमन के बजाय विपणन प्रणाली के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बिचौलियों को विनियमित करने और उनकी उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। निजी बाजारों सहित विभिन्न अन्य विपणन मॉडलों के साथ विनियमित बाजारों के सह-अस्तित्व से प्रतिस्पर्धी प्रणाली का विकास होगा। कृषि उपज के अंतर-मंडी और अंतर-राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए बाधाओं को कम करना होगा। एक राष्ट्र एक बाजार के सपने को साकार करने के लिए किसान संगठनों की भागीदारी के साथ निजी निवेश को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है।

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और उनके संघों के लिए (ई-नाम)

डॉ. सत्येन्द्र कुमार
एसोसिएट संकाय सदस्य
एनआईएमएसएमई, हैदराबाद
ईमेल : sathyendra.ccsniam@gmail.com

डॉ. विग्नेश कुमार एस, एसबी राम्या लक्ष्मी, डॉ. के. सि. गुम्मगोलमठ, निदेशक (एम व ई), मैनेज, हैदराबाद

ई-नाम के बारे में

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को शुरू किया गया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में मंडियों को एकीकृत करता है, जिससे कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बाजार बनाने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी। इसका उद्देश्य कृषि विपणन प्रणाली की समस्याओं का समाधान करना है, जिसमें खंडित आपूर्ति श्रृंखला, उच्च लेनदेन लागत, फसल के बाद के नुकसान और सीमित मूल्य खोज तंत्र शामिल हैं। प्रारंभ में आठ राज्यों के 23 विनियमित बाजारों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया ई-नाम अब 23 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 1,389 एपीएमसी तक फैल गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजिनेस कंसोरशियम (एसएफएसी) ई-नाम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एसएएमबी) सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाजार अवसंरचना संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं। यह प्लेटफॉर्म व्यापार प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है, मूल्य पारदर्शिता बढ़ाता है, बिचौलियों द्वारा शोषण को कम करता है और मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय में मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देता है। यह प्लेटफ़ॉर्म ट्रेडिंग प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है, मूल्य पारदर्शिता बढ़ाता है, बिचौलियों द्वारा शोषण को कम करता है और मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य खोज को बढ़ावा देता है। अब तक, सामान्य सार्वजनिक स्वामित्व वाली एपीएमसी/आरएमसी में, मूल्य खोज कुछ व्यापारियों तक ही सीमित थी, जबकि ई-नाम प्लेटफॉर्म में देश भर में बड़ी संख्या में व्यापारियों की भागीदारी की गुंजाइश है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज को बढ़ावा मिलता है।

यह कैसे काम करता है? - प्रक्रिया

कृषि उपज की पूर्व-सफाई, ग्रेडिंग और थैली में भरना

किसान अपनी उपज के साथ ई-बाजार में आते हैं

गेट प्रवेश

नीलामी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन के लिए रखी गई उपज को सत्यापन और ग्रेड व नमूने के ऑनलाइन प्रदर्शन के साथ दिखाया जाता है।

लॉट को परखना और ग्रेडिंग करना तथा उसे एक विशिष्ट ग्रेड प्रदान करना

वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ विशिष्ट लॉट आईडी संख्या, साथ ही उपज की बिक्री के बाद पैसे जमा करने के लिए आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण

स्थानीय और दूरदराज के व्यापारियों द्वारा ऑनलाइन बोली सुबह 9:30 बजे शुरू होकर दोपहर 12:00 बजे समाप्त होती है

नीलामी के बाद की गतिविधि

» इलेक्ट्रॉनिक तौल
» बिक्री बिल तैयार करना
» खरीदार ऑनलाइन राशि को ई-नाम के एस्क्रो खाते में भेजता है, जिसे बाजार शुल्क आदि की कटौती के बाद कमीशन एजेंट को भेज दिया जाता है।
» कमीशन एजेंट किसान को भुगतान करता है
» कमीशन एजेंट द्वारा बोली विजेता को डिलीवरी
» ई-परमिट

कार्यान्वयन की स्थिति

दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक, ई-नाम अनाज, तिलहन, फल, सब्जियां और मसाले सहित 219 वस्तुओं के ई-व्यापार की सुविधा प्रदान करता रहा है। 2,64,111 से अधिक व्यापारी, 1,14,942 कमीशन एजेंट और 1,78,47,254 किसान इस मंच पर पंजीकृत हैं, साथ ही 4389 एफपीओ सक्रिय रूप से ऑनलाइन व्यापार में भाग ले रहे हैं। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में किसानों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई है।

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए अप्रैल 2020 में तीन प्रमुख मॉड्यूल प्रस्तुत किया गया:

- एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल : यह एफपीओ को अपने संग्रह केंद्रों से व्यापार करने की अनुमति देता है, जिन्हें "डीम्ड मार्केट" या "सब-मार्केट यार्ड" के रूप में नामित किया गया है।
- वेयरहाउस-आधारित ई-एनडब्ल्यूआर ट्रेडिंग : डब्ल्यूडीआरए-मान्यता प्राप्त गोदामों से इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) के माध्यम से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। कुछ राज्यों में, इन गोदामों को उप-बाजार के रूप में नामित किया गया है, जिससे प्रत्यक्ष व्यापार संभव हो जाता है। इससे उपज की कई बार हैंडलिंग की समस्या से बचा जा सकता है।
- लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल: 2.3 लाख ट्रांसपोर्टरों और 11.37 लाख वाहनों के साथ किसानों को परिवहन सेवाओं से जोड़ता है।

इसके अलावा, कर्नाटक के आरईएमएस (यूनिफाइड मार्केट पोर्टल-यूएमपी) और ई-नाम के बीच अंतर-संचालनीयता बाजार पहुंच का विस्तार करते हुए अंतर-प्लेटफॉर्म व्यापार को सक्षम बनाती है। दिनांक 14 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़

प्लेटफ़ॉर्म (पीओपी), 41 सेवा प्रदाताओं को एकीकृत करता है, जो किसानों को गुणवत्ता जांच, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग जैसी अतिरिक्त सेवाओं से लाभान्वित करते हुए राज्य की सीमाओं से परे बेचने की अनुमति देता है।

ई-नाम और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका

किसानों के समूहों द्वारा गठित एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), सामूहिक उत्पादन, खरीद और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाबार्ड, एसएफएसी, एनसीडीसी, एसएयू, केवीके और गैर-सरकारी संगठन जैसी विभिन्न एजेंसियां एफपीओ के गठन में सहायता करती हैं। देश भर में 40,000 से अधिक एफपीओ स्थापित किए गए हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन, तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करके उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं।

एफपीओ के लिए बाजार संपर्क के महत्व को पहचानते हुए, सरकार ने एफपीओ मॉड्यूल को ई-नाम में एकीकृत किया। यह मॉड्यूल एफपीओ को अपने पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-नाम पर पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके संग्रह केंद्रों से सीधे ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिलती है। इन केंद्रों को "डीम्ड मार्केट्स" या "सब-मार्केट यार्ड्स" के रूप में नामित किया गया है, जो उपज के निर्बाध एकत्रीकरण और बिक्री की अनुमति देता है।

एफपीओ मॉड्यूल के माध्यम से ट्रेडिंग प्रक्रिया

एफपीओ संग्रह केंद्रों पर सदस्यों की उपज एकत्र करते हैं, गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं और व्यापार लॉट बनाते हैं। ये लॉट ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म पर सूचीबद्ध हैं, जहां व्यापारी बोली लगाते हैं। एक बार लेनदेन को अंतिम रूप देने के बाद, एक बिक्री समझौता तैयार किया जाता है, जिसमें वस्तु के प्रकार, मात्रा और कीमत का विवरण होता है। भुगतान एफपीओ के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजा जाता है, जो फिर किसान सदस्यों के बीच कमाई वितरित करता है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ व्यापार-संबंधित रिपोर्ट और बाजार अंतर्दृष्टि के लिए ई-नाम डैशबोर्ड तक पहुंच सकते हैं।

एफपीओ को ई-नाम पर व्यापार करने के लिए कुछ पूर्व-आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी:

1. राज्य के कानूनों को संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से मंडी के बाहर लेनदेन की अनुमति देनी चाहिए।
2. एफपीओ को आवश्यक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी (न्यूनतम 5 एमबीपीएस) और वजन/परख उपकरण शामिल हैं।
3. प्रशिक्षित कर्मियों को सैंपलिंग, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल लेनदेन का प्रबंधन करना चाहिए।

अभी ई-नाम पर 4389 एफपीओ पंजीकृत हैं, जिसमें राजस्थान ने 2020 में पहला लेनदेन करके पहल की थी। तब से, कई एफपीओ ने ई-नाम के माध्यम से सफलतापूर्वक व्यापार किया है, जो किसानों के लिए बाजार पहुंच और बेहतर मूल्य प्राप्ति में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है।

इंटर-प्लेटफ़ॉर्म ट्रेड और पीओपी पहल जैसे लगातार सुधारों के साथ, ई-नाम भारत के कृषि-विपणन परिदृश्य को लगातार बदल रहा है, जिससे यह अधिक पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित बन रहा है।

तालिका 1. देश भर में विभिन्न वस्तुओं के लिए एफपीओ द्वारा प्राप्त मूल्य अंतर

क्रम सं.	एफपीओ का नाम	माल	ई-एनएएम पर प्राप्त मूल्य (₹ /क्विंटल)	खुले बाजार में कीमत (₹ /क्विंटल)	मूल्य में अंतर (₹)
1.	देवगिरी किसान एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (डीकेएपीपीसीओ), परलाखेमुंडी , ओडिशा	काजु	10,336	10,000	336 (3.36)
2.	गिरिमाला फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जीएफपीसीएल), मोडासा , गुजरात	चना	288	209	79 (37.80)
3.	येरमुनई कलेक्टिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (वाईसीएफपीसीएल), गोबी, तमिलबदु	खोपरा	9,500	8,500	1000 (11.76)
4.	महाकौशल प्रोग्रेसिव फार्मर सेल्फ रिलाएन्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, सिवनी, मध्य प्रदेश	मक्का	1325	1220	105 (8.61)

संघों के लिए ई-नाम का लाभ उठाना

तालिका 1 दर्शाती है कि कैसे ई-नाम ने एफपीओ को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मूल्य अंतर को पहचानने में सशक्त बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने वालों को लगातार बेहतर मूल्य मिल रहा है। अब इस दृष्टिकोण को एफपीओ के संघों तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे समान लाभ के लिए यही तरीका अपनाया जा सके।

एफपीओ फेडरेशनों का समर्थन देने के लिए ई-नाम का लाभ उठाने से कृषि-विपणन में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह बड़े पैमाने पर लेनदेन को सक्षम बनाएगा, बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद करेगा और सामूहिक विपणन को सुविधाजनक बनाएगा। फेडरेशन कई एफपीओ से उपज एकत्रीकरण सकते हैं, जिससे व्यापार की बड़ी मात्रा तैयार होगी जो संस्थागत खरीदारों, प्रोसेसरों और निर्यातकों को आकर्षित करेगी। यह सामूहिक दृष्टिकोण उनकी मोलभाव करने की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे बेहतर कीमतें मिलती हैं और स्थानीय बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है।

कई एफपीओ को अपने व्यवसाय को बनाए रखने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, संघ बनाने और ई-नाम में सक्रिय रूप से भाग लेने से उनकी व्यवहार्यता में काफी वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से सामान्य वस्तुओं पर केंद्रित संघ, अधिक पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं, संचालन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और समग्र दक्षता में सुधार कर सकते हैं, जिससे डिजिटल एकीकरण अधिक प्रभावी और टिकाऊ होगा।

सुझाव और निष्कर्ष:-

यद्यपि ई-नाम ने चुनिंदा एफपीओ केस अध्ययनों के माध्यम से लाभ दर्शाया है, फिर भी इसकी प्रभावशीलता के लिए और सुधार की आवश्यकता है।

1. बाजार-आधारित विस्तार और नियमित क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोसेसरों, निर्यातकों और बड़े खरीदारों के बीच जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना। संघों की भागीदारी से सूचना का प्रवाह और संवेदीकरण अधिक कुशल और प्रभावी हो जाता है।
2. आधुनिक परख और श्रेणीकरण सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इसके अतिरिक्त, मूल्य श्रृंखलाओं को एकीकृत करना, वस्तुओं के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करना और बाजार दक्षता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
3. दूरदराज के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ई-नाम के प्रावधानों को उप-मंडियों तक विस्तारित करना और बेहतर भागीदारी तथा परिचालन दक्षता के लिए एफआईजी, सीआईजी, एफपीओ, संघों और सहकारिताओं को प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए बाजार यार्डों में सीआईएफ एजेंटों को तैनात करना।

जबकि सरकार ने कृषि-विपणन के लिए ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है, अब ध्यान सही लक्षित समूहों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने पर होना चाहिए। समूह-आधारित दृष्टिकोण पर जोर देने से फेडरेशनों की अवधारणा मजबूत होगी, जिससे वे बेहतर मूल्य प्राप्ति और एक मजबूत व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ई-नाम का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकेंगे। बदले में, यह किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थिरता को बढ़ाएगा और सदस्य किसानों के एक बड़े नेटवर्क को अधिक लाभ प्रदान करेगा।

किसान उत्पादक संगठनों की अगली पीढ़ी के रूप में संघ

डॉ. विग्नेश कुमार
मैनेज फ़ेलो, (एम एंड ई)
मैनेज, हैदराबाद
ईमेल :vgnshkumar0@gmail.com

डॉ. कनका दुर्गा, सहायक निदेशक, डॉ. के. सि. गुम्मगोलमठ, निदेशक (एम व ई), मैनेज, हैदराबाद

किसान उत्पादक कंपनियों की स्थिति

भारत में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की कुल संख्या पर कोई व्यापक डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। एनएएफपीओ (2024) की 'स्टेट ऑफ द सेक्टर' रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2003 से अब तक लगभग 40,000 से अधिक एफपीओ स्थापित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के डेटा पर आधारित है। टाटा-कॉर्नेल इंस्टीट्यूट द्वारा एक नीति संक्षिप्त विवरण अधिक सटीक अनुमान प्रदान करती है, जिसमें सितंबर 2024 तक 44,460 एफपीओ की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पिछले कुछ वर्षों में एफपीओ पंजीकरणों में वृद्धि का श्रेय बड़े पैमाने पर भारत सरकार की सक्रिय पहलों, विशेष रूप से वर्ष 2020 में शुरू की गई 10,000 एफपीओ के प्रचार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को दिया जा सकता है।

पर्याप्त एफपीओ के गठन के बावजूद, उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और परिचालन दक्षता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। हालाँकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई निश्चित डेटा नहीं है, लेकिन यह व्यापक रूप से समझा जाता है कि मजबूत नींव वाले एफपीओ का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही फलता-फूलता है और अपने संचालन को बनाए रखता है। इसके विपरीत, अधिकांश एफपीओ बिना किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि के, केवल वार्षिक अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करके ही अस्तित्व में हैं।

एफपीओ के सामने आने वाली चुनौतियों में कई कारक योगदान देते हैं। एफपीओ की पेड-अप कैपिटल (पीयूसी) के संबंध में, टाटा-कॉर्नेल इंस्टीट्यूट (टीसीआई) डैशबोर्ड (2022) ने संकेत दिया कि औसत पीयूसी प्रति एफपीओ लगभग ₹ एक लाख है। हालाँकि, यह विवरण एक स्पष्ट असमानता को दर्शाता हैं, क्योंकि पीयूसी का वितरण काफी हद तक कुछ ऐसे एफपीओ की ओर झुका हुआ है जिनके पास काफी अधिक पूंजी है। इसके विपरीत, लगभग 75 प्रतिशत एफपीओ की पीयूसी ₹5 लाख से कम है। पेड-अप कैपिटल (पीयूसी) एक एफपीओ की व्यवहार्यता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो इसके परिचालन पैमाने और निवेश आकर्षण का एक संकेतक है। उच्च पीयूसी वाले एफपीओ की संचालन बनाए रखने, इन्वेंट्री और अचल संपत्तियों में निवेश करने, मूल्य संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाने, और कार्यशील पूंजी को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने की क्षमता को दर्शाता है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अधिकांश एफपीओ और उनकी सदस्यता में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए आवश्यक पैमाने की कमी है। सदस्यता विवरण पर विचार करते हुए, टीसीआई द्वारा एफपीओ के उप-नमूने पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 47 प्रतिशत एफपीओ छोटे आकार के थे, जबकि उनमें से केवल 28 प्रतिशत के 500 से अधिक सदस्य थे। इसके अतिरिक्त, वे अक्सर संगठनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और शासित करने के लिए कुशल कर्मियों की कमी से भी जूझते हैं। इसके अलावा, विभिन्न व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कई वस्तु-विशिष्ट एफपीओ की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में खंडन हुआ है।

इन चुनौतियों को देखते हुए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि एफपीओ को राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर संघों में क्यों न समेकित किया जाए? ऐसा दृष्टिकोण उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकता है, संचालन को सुव्यवस्थित कर सकता है और स्थायी विकास के लिए एक अधिक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है।

किसान उत्पादक कंपनियों की संघ – अवधारणा

संघ की अवधारणा निगमन के मामले में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के समान है, क्योंकि यह या तो कंपनी अधिनियम के तहत एक उत्पादक कंपनी के रूप में या इसी कानून के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और संघ के बीच प्राथमिक अंतर उनकी सदस्यता संरचना में निहित

है। जहाँ व्यक्तिगत किसान एक एफपीओ में शेयरधारक के रूप में कार्य करता हैं, वहीं संघ को संस्थागत सदस्यता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ सदस्य एफपीओ शेयरधारक के रूप में कार्य करते हैं।

संघ केवल उत्पादक कंपनियों तक ही सीमित नहीं हैं; वे सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान रुचि समूहों (एफआईजी) और कमोडिटी रुचि समूहों (सीआईजी) को भी एक एकीकृत संरचना के तहत एक साथ आने में भी सक्षम बनाते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के बीच व्यावसायिकता लाने, उन्हें एक अधिक औपचारिक और संगठित सेटअप के तहत लाने के लिए एक समाधान के रूप में काम कर सकता है। फेडरेशन ब्लॉक, जिला, राज्य और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किए जा सकते हैं। एसएफएसी पहले से ही राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उत्पादक कंपनियों को फेडरेशन के रूप में बढ़ावा दे रहा है।
संघों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

वस्तु-विशिष्ट संघ:

यह संघ एकल वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता हैं, जिससे बेहतर मूल्य श्रृंखला विकास होता है और बड़े पैमाने पर वस्तु को बढ़ावा मिलता है। वे मानकीकृत कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता करते हैं, जिससे उपज की गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए सामान्य बुनियादी ढाँचा स्थापित करना अधिक व्यवहार्य हो जाता है, जिससे दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में सुधार होता है।

बहु-वस्तु संघ:

जहाँ कई वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास अधिक जटिल हो सकता है, वहीं बहु-वस्तु संघ बड़ी संख्या में एफपीओ को शामिल करने और अधिक किसानों को लाभ पहुँचाने का कार्य करते हैं। चूंकि अधिकांश किसान विभिन्न मौसमों में कई फसलें उगाते हैं, ये संघ उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और पूरे वर्ष निरंतर व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला वाले संघ अपनी उपस्थिति को व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में विस्तारित करते हैं, जिससे बाजार तक पहुँच और प्रभाव में वृद्धि होगी।

विभिन्न प्रकार के संघों का रणनीतिक रूप से उपयोग करके, एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है, जिससे बेहतर मूल्य श्रृंखला प्रबंधन और व्यापक किसान समावेशन सुनिश्चित होगा।

संघ बनाने के लाभ

संघ के कई फायदे हैं, खासकर वे अपने सदस्य एफपीओ के लिए व्यापारिक कामकाज संभालते हैं। इससे व्यक्तिगत एफपीओ प्रबंधन टीमों पर व्यापारिक गतिविधियों, संचालन और कानूनी नियमों के पालन का दबाव कम हो जाता है, जिससे वे उत्पादन और खरीद की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इस तरह संघ एफपीओ के कामकाज को सुव्यवस्थित करके उनकी स्थिरता और दक्षता को बढ़ाते हैं।

इसके अलावा, बड़े संघ अक्सर नीति-निर्माण में अपनी पहचान बना लेते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत हो पाती है। यह किसान उत्पादक कंपनियों की सामूहिक आवाज़ को बुलंद करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने के उच्च स्तर पर उनकी चिंताओं और हितों का प्रतिनिधित्व हो। साथ ही, संघ एक छाता संगठन के रूप में काम करते हैं, जो सदस्य एफपीओ को ज़रूरी सहायता देते हैं। वे कृषि और उससे जुड़ी मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल विभिन्न हितधारकों के ज्ञान और विशेषज्ञता को जोड़ने के लिए एक पूल के रूम में भी काम करते हैं।

संघ की संरचना

संघ की अवधारणा का मूल बहुत हद तक इसकी संरचना पर निर्भर करता है। संघ के प्रभावी संचालन के लिए निम्नलिखित संरचना प्रस्तावित है।

1	सामान्य निकाय	साधारण सभा में सभी फोरम सदस्य शामिल होते हैं और प्रत्येक वर्ष बैठक करके कार्यकारी समिति का चुनाव, योजनाओं, बजट और लेखापरीक्षा रिपोर्टों को मंजूरी देना और उप-समूहों का गठन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केवल स्थायी सदस्यों के पास ही मतदान का अधिकार होता है।
2	कार्यकारी समिति	राज्य मंच से चुनी गई कार्यकारी समिति, गतिविधियों की योजना बनाने, निगरानी करने और मार्गदर्शन करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक करती है। सरकारी विभाग के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं।
3	सलाहकार समिति	सलाहकार समिति में कार्यकारी सदस्य, गैर सरकारी संगठन, विषय विशेषज्ञ, वित्तीय संस्थान और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं, जो रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।
4	सचिवालय	प्रारंभ में कृषि विभाग द्वारा संचालित यह सचिवालय प्रशासनिक, अनुपालन और समन्वय संबंधी कार्यों को संभालता है।

संघ एफपीओ शेयरधारकों को क्या पेश कर सकता है?

एफपीओ (किसान उत्पादन संगठन) के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्राथमिक अधिदेश के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सदस्य एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) को संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से मजबूत करना। इसमें बही-खाता, लेखा, कृषि प्रणालियों, बाजार संपर्क, वित्तीय प्रबंधन, नीति अधिवक्तृता, बैंक संपर्क, सरकारी योजनाओं तक पहुंच और बीमा सेवाओं में प्रशिक्षण शामिल है।
- इनपुट आपूर्तिकर्ताओं और विपणन चैनलों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना।
- एफपीओ के लिए ऋण और वित्त तक पहुंच को आसान बनाना।
- नवीन विचारों, प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों का ज्ञान साझा करना और प्रसार करना।
- संघ के परिचालन ढांचे के भीतर नए और मौजूदा एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) को बढ़ावा देना और एकीकृत करना।
- बाहरी हितधारकों के साथ संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना तथा प्रवर्तक संगठन की भूमिका का स्थान लेना।
- सदस्य एफपीओ के कामकाज की समीक्षा, विनियमन और पर्यवेक्षण करना।
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एफपीओ के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने वाली नीतियों का समर्थन करना।

संघों का अध्ययन

महा एफपीसी फेडरेशन का केस

महा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (महा एफपीसी) महाराष्ट्र, भारत में किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) का एक प्रमुख राज्य स्तरीय संघ है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिनांक 3 सितंबर, 2014 को पंजीकृत और पुणे में मुख्यालय स्थित, महा एफपीसी अपनी शुरुआती 11 सदस्य एफपीसी से बढ़कर 24 जिलों में 650 से अधिक सदस्य एफपीसी तक व्यापक हुआ है, जिससे यह भारत में सबसे बड़ा एफपीसी संघ बन गया है और सालाना ₹1500 करोड़ का व्यापक कारोबार करता है।

महा एफपीसी फेडरेशन क्या-क्या प्रदान करता है?

- **बाजार संबंध :** महाएफपीसी तिलहन और दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद को आसान बनाने के लिए एनएएफईडी (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ), एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) और एनएबीएआरडी (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) जैसे प्रमुख संगठनों के सहयोग में काम करता है। साथ ही इसका उद्देश्य खेत पर मूल्य संवर्धन को सक्षम बनाने के लिए एफपीसी के कमोडिटी-केंद्रित क्लस्टर विकसित करना है।
- **क्षमता निर्माण :** संघ अपने सदस्य एफपीसी को बुनियादी ढांचे के विकास, इनपुट-आउटपुट एकलीकरण, ऋण सुविधा और अनुपालन प्रबंधन के माध्यम से समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यापक दृष्टिकोण सदस्य संगठनों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाता है।
- **स्थानीय सशक्तिकरण :** लातूर (मराठवाड़ा) और अमरावती (विदर्भ) में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, महा एफपीसी जमीनी स्तर पर एफपीओ को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करता है। यह स्थानीय उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुरूप समर्थन की अनुमति देती है।

मध्य प्रदेश के महिला पोल्ट्री उत्पादक कंपनी का केस

मध्य प्रदेश महिला पोल्ट्री उत्पादक कंपनी लिमिटेड (एमपीडब्ल्यूपीसीएल) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक उत्पाद कंपनी है, जिसके 14 उत्पादक संगठन शेयरधारक हैं। ये संगठन होशंगाबाद, बैतूल, सीधी और डिंडोरी सहित मध्य प्रदेश के 12 जिलों में हाशिए पर रहने वाले आदिवासी और दलित परिवारों की 8,121 महिला पोल्ट्री उत्पादकों को ब्रॉयलर पोल्ट्री के लिए इनपुट आपूर्ति, उत्पादन सहायता और विपणन सेवाएं प्रदान करते हैं।

एमपीडब्ल्यूपीसीएल मध्य भारत में सबसे बड़े समुदाय-आधारित संस्थानों में से एक है, जिसका सामूहिक कारोबार ₹300 करोड़ से अधिक है और यह 8,100 से अधिक परिवारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह कंपनी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पोल्ट्री उत्पादक है, जिसकी मासिक पक्षी प्रतिस्थापन क्षमता 1.5 मिलियन है और वार्षिक उत्पादन 10 मिलियन से अधिक अंडे हैं।

एमपीडब्ल्यूसीएल मॉडल कैसे काम करता है?

एमपीडब्ल्यूसीएल मॉडल दूरदराज के गांवों में छोटे पैमाने की महिला किसानों को सहकारी समितियों में संगठित करके सशक्त बनाने के लिए आधुनिक मुर्गीपालन पद्धतियों को अपनाता है। प्रत्येक सहकारी समिति में आमतौर पर 300-500 सदस्य होते हैं, जिनमें प्रत्येक गांव में 25-30 किसान होते हैं, जो सदस्यों के घर पिछवाड़े में आधुनिक मुर्गी फार्म चलाती हैं। ये महिलाएं उत्पादन पर स्वामित्व और नियंत्रण बनाए रखते हुए आय अर्जित करती हैं। यह मॉडल तीन स्तंभों पर काम करता है:

- **उत्पादन का आयोजन:** समुदाय-आधारित पर्यवेक्षक और प्रशिक्षित पशुचिकित्सक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन और कृषि सहायता सुनिश्चित करते हैं।
- **निर्धारित पारिश्रमिक:** उत्पादन दक्षता को प्रभावशील बनाने, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव और अनिश्चितताओं से बचाने के लिए संघ द्वारा पारिश्रमिक को निर्धारित किया जाता है।
- **व्यावसायिक प्रबंधन:** प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंधन पशु चिकित्सा या प्रबंधन विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवर द्वारा किया जाता है, जिससे सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है। गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली दृष्टिकोण का उपयोग करने वाली पोल्ट्री प्रबंधन प्रणाली व्यवसाय प्रक्रियाओं और अनुपालन को मानकीकृत बनाती है।

यहां सहकारी समितियों ने मिलकर संघ का गठन किया, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला, इनपुट की लागत-प्रभावी खरीद संभव हुई और उद्योग मानकों के साथ बेहतर अनुपालन संभव हुआ। संघ सदस्य सहकारी समितियों के बीच ज्ञान साझा करने और प्रक्रिया परिशोधन के लिए एक मंच बनाते हुए पेशेवर और तकनीकी विशेषज्ञता तक पहुंच भी प्रदान करता है। यह सहयोगी संरचना एकजुटता को मजबूत करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सहकारी समितियां उद्योग में विकसित हो रही तकनीकी और वाणिज्यिक प्रगति के अनुकूल होकर प्रतिस्पर्धी बनी रहें।

निष्कर्ष

फेडरेशनों का गठन भारत में किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के शासन और परिचालन परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने का एक शानदार अवसर प्रस्तुत करता है। संसाधनों को एकत्रित करके, बाजार संबंधों को बढ़ाकर और आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके, संघ व्यक्तिगत एफपीओ द्वारा सामना किए

जाने वाले क्षमता, दक्षता और स्थिरता की अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करते हैं। महा-एफपीसी और एमपीडब्ल्यूपीसीएल जैसे सफल मॉडल किसानों की सामूहिक आवाज़ को बढ़ाने, बेहतर नीति अधिवक्तृता सुनिश्चित करने और अधिक लचीला कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में संघों की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हुए, रणनीतिक साझेदारी, क्षमता निर्माण और नीति समर्थन के माध्यम से संघों को मजबूत करना एफ पी ओ को दीर्घकालिक व्यवहार्यता और विकास प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण होगा, जिससे अंततः छोटे किसानों की आजीविका को लाभ होगा।

किसान उत्पादक संगठन : टिकाऊ कृषि के लिए नए युग का साधन

डॉ. एस.आर. सिंह,
उपनिदेशक एवं अध्यक्ष
सीसीएस नियाम, जयपुर
ईमेल : sattramsingh@gmail.com

भारतीय कृषि में भूमि जोत का घटता हुआ आकार एक बड़ी बाधा है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में कुल भूमि जोत में छोटे और सीमांत किसानों का अनुपात 85 प्रतिशत से अधिक है। कुल भूमि के 44 प्रतिशत हिस्से के साथ ये छोटे किसान 52 प्रतिशत अनाज, 55 प्रतिशत फल और 70 प्रतिशत सब्जियां पैदा कर रहे हैं। नतीजतन, छोटे और सीमांत किसानों की समस्याएं इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं। कृषि विपणन क्षेत्र में निहित सीमाओं के कारण विपणन के मोर्चे पर चिंता और भी अधिक स्पष्ट है। इसलिए, भूमि, पानी, इनपुट, ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुंच बढाने एवं कृषकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इन किसानों को एकत्रित करने की आवश्यकता है।

छोटे किसानों को सहकारी समूहों में संगठित करना एक सदी से भी अधिक पुरानी पहल है। हालाँकि, अंतर्निहित बाधाओं के कारण उन्हें मिली सफलता सीमित रही। किन्तु प्रयास आज भी जारी है। सहकारी समितियों की सफलता केवल दो ही क्षेत्रों में देखने को मिली है एक तो दुध उत्पादन और गन्ना उत्पादन में प्रर्दशन अच्छा रहा है। बाद में शुरू किए गए अन्य प्रकार के एकत्रीकरण का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं रहा। इसका कारण यह है कि ये एकत्रीकरण उपकरण कृषि में आपूर्ति श्रृंखला के एक या दो घटकों को संबोधित करते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार प्रो. वाई के अलग की सिफारिशों पर एकत्रीकरण का नया तरीका यानी किसान उत्पादक कंपनियां लेकर आई है। किसानों के समूह को कंपनी अधिनियम में शामिल करने के लिए वर्ष 2002 में एक संशोधन किया गया था। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का साधन एकत्रीकरण के सबसे प्रभावी तंत्र के रूप में उभर रहा है। वे पेशेवर रूप से प्रबंधित होते हैं और विपणन समस्या सहित कुल आपूर्ति श्रृंखला का ध्यान रखने में सक्षम हैं। किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी का एक कानूनी रूप है, जिसे वर्ष 2002 में एक अलग अध्याय को शामिल करके संशोधित किया गया था। जब वर्ष 2013 में कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया, तो उन्हीं प्रावधानों को बरकरार रखा गया। किसानों द्वारा प्रवर्तित ये एफपीसी किसानों द्वारा और किसानों के लाभ के लिए चलाए जाएंगे उत्पादक कंपनी की शेयर पूंजी में केवल सदस्यों द्वारा योगदान किए गए इक्विटी शेयर शामिल होंगे और सदस्य की इक्विटी को सार्वजनिक रूप से नहीं रखा जा सकता है और ना ही कारोबार किया जा सकता है लेकिन हस्तांतरित किया जा सकता है। कंपनी के कारोबार से होने वाले मुनाफे को किसान सदस्यों के बीच लाभांश के रूप में ही बांटा जाएगा। एफपीओ के विभिन्न रूप भारत में एफपीओ को मुख्य रूप से दो शीर्ष एजेंसियों एसएफएसी और नाबार्ड द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा, गैर-सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकार की एजेंसियां भी एफपीओ को बढ़ावा दे रही हैं। हालांकि, एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए इन एजेंसियों द्वारा लागू किए जा रहे मॉडलों में कोई सामंजस्य नहीं है। उदाहरण के लिए, नाबार्ड कई तरह के एकत्रीकरण मॉडल को बढ़ावा दे रहा है जैसे सहकारी समूह, किसान क्लब, स्वयं सहायता समूह और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एफपीओ। जबकि, एसएफएसी गांव स्तर पर 15-20 सदस्यों वाले किसानों के समूह को बढ़ावा दे रहा है, जो ब्लॉक/जिला स्तर पर संघबद्ध हैं और संघ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एनसीडीसी और अन्य एजेंसियां सहकारी समूहों, किसान क्लब आदि को बढ़ावा दे रही हैं। एसएफएसी के पैनल में शामिल प्रमोटर गांव स्तर पर 15-20 सदस्यों के समूह (एफआईजी) में किसानों की पहचान करते हैं और उन्हें संगठित करते हैं और इन समूहों को गतिविधियों के प्रकार और संचालन के पैमाने के आधार पर वांछित स्तर (ब्लॉक/जिला) पर संघबद्ध किया जाता है। ये संघ एफपीसी के रूप में पंजीकृत हैं।

एफपीओ की स्थिति

भारत में पंजीकृत पहली उत्पादक कंपनी फार्मर्स हनी बी इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड थी। संशोधन की अधिसूचना के बाद पहले वित्तीय वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष (FY) 2004 (1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004) में, कुल पाँच उत्पादक कंपनियाँ पंजीकृत हुई। टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन

के अनुसार, 30 सितंबर, 2024 तक पूरे भारत में कुल 44,458 एफ़पीओ बनाए गए थे।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, एफ़पीओ की आयु 1 से 18 वर्ष तक होती है, पैंतालीस प्रतिशत एफ़पीओ 2 से 4 वर्ष के बीच के हैं, 30 प्रतिशत एफ़पीओ 4 से 8 वर्ष के बीच के हैं। केवल 4 प्रतिशत एफ़पीओ (710) 8 वर्ष से अधिक पुराने हैं 47% एफ़पीओ को छोटे आकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 100 से कम किसान-सदस्य हैं, 28% को बड़े आकार के रूप में माना जाता है, जिसमें 500 से अधिक सदस्य हैं।

एफ़पीओ के लाभ

एफ़पीओ छोटे किसानों को शुरू से अंत तक सहायता और सेवाएँ प्रदान करता है, तथा तकनीकी सेवाएँ, विपणन, प्रसंस्करण और खेती के इनपुट के अन्य पहलुओं को कवर करता है। एफ़पीओ के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं।

- बडे पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ: थोक दरों पर थोक में सभी आवश्यक इनपुट खरीदकर उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है।
- उपज का एकत्रीकरण: खेत की कटाई और थोक परिवहन के एकत्रीकरण से विपणन लागत कम हो जाती है, जिससे उत्पादक की शुद्ध आय में वृद्धि होती है।
- प्रौद्योगिकी तक पहुँच: आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच, क्षमता निर्माण की सुविधा, उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर विस्तार और प्रशिक्षण और कृषि उपज की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना।
- कम नुकसान: मूल्य संवर्धन और मूल्य श्रृंखला के कुशल प्रबंधन के माध्यम से कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जा सकता है।
- इनपुट, बाजार की जानकारी और बाजार तक पहुँच: उचित योजना और प्रबंधन के माध्यम से उपज की नियमित आपूर्ति और गुणवत्ता नियंत्रण संभव है।
- वित्त तक आसान पहुँच: बिना किसी संपार्श्विक के स्टॉक के विरुद्ध वित्तीय संसाधनों तक पहुँच।
- बेहतर सौदेबाजी शक्ति: एफ़पीओ के माध्यम से सामूहिकीकरण उन्हें एक समूह के रूप में अधिक 'सौदेबाजी' करने की शक्ति देता है और सामाजिक पूंजी निर्माण में मदद करता है।

मजबूत एफ़पीओ के गठन में चुनौतियां और मुद्दे

एफ़पीओ को कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे निरंतर नेतृत्व और किसानों की ईमानदारी की कमी के कारण स्वामित्व का स्तर कम है, सुशासन की अनुपस्थिति जिसके कारण व्यावसायिकता की कमी है, खराब प्रबंधकीय कौशल के कारण व्यावसायिक कौशल की कमी, कम पूंजीकरण का मुद्दा, एफ़पीसी को व्यावसायिक प्रस्ताव विकसित करने, अपने उत्पाद को विकसित करने में तकनीकी सहायता की कमी, कानूनी सहायता की कमी, वित्त पोषण की कमी, निवेशकों को आकर्षित करने और सामान्य रूप से सदस्यों के प्रशिक्षण और कौशल विकास में संघर्ष करना पड़ता है। भागीदारी का निम्न स्तर, पेशेवर विशेषज्ञता की कमी, खराब बुनियादी ढांचा, खराब कनेक्टिविटी, प्रमाणन की कमी आदि एफ़पीओ के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट (2020) में बताया गया है कि प्रति पीसी शेयरधारकों की औसत संख्या 582 है और हर एक लाख किसानों पर लगभग 2.6 एफ़पीसी हैं। कुल एफ़पीसी में से 92 प्रतिशत कृषि आधारित हैं और शेष 8 प्रतिशत हथकरघा और हस्तशिल्प आधारित एफ़पीसी हैं।

रिपोर्ट में कुछ रोचक तथ्य भी सामने आए हैं कि लगभग 50 प्रतिशत एफ़पीसी चार राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केंद्रित हैं। लगभग 25 प्रतिशत एफ़पीसी सिर्फ 20 जिलों में हैं और अकेले पुणे जिले में लगभग 185 एफ़पीसी हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी प्रवर्तित एफ़पीसी में से 79 प्रतिशत 3 वर्ष या उससे कम पुराने हैं। बेशक, अब तक ये एफ़पीसी 5 वर्ष पुराने हो चुके होंगे। एफ़पीओ के विषम वितरण की प्रवृत्ति चुकता पूंजी के मामले में भी परिलक्षित होती है जो सामान्य वितरण का पालन नहीं करती है। जैसा कि रिपोर्ट में संकेत दिया गया है, 49 प्रतिशत उत्पादक कंपनियों की चुकता पूंजी एक लाख रुपये या उससे कम है, 16.00 प्रतिशत एफ़पीसी की चुकता पूंजी एक लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 लाख रुपये से कम है और 21.2 प्रतिशत की चुकता पूंजी 5 लाख रुपये या उससे अधिक लेकिन 10 लाख रुपये से कम है। यह भी बताया गया है कि शीर्ष 20 एफ़पीसी सभी कंपनियों की संयुक्त चुकता पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक योगदान देती हैं, जिनमें से 10 डेयरी किसान उत्पादक कंपनियां हैं।

एफ़पीओ को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सुझाव

उत्पादक कंपनी अधिनियम 2002 में प्रोडयूसर कंपनी को ऐसे व्यवसाय के रूप में देखा गया है जिसमें विकास और स्थायित्व की संभावना है। लेकिन, अधिकांश प्रोडयूसर कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि शेयरधारकों की कम संख्या, कम खरीद मात्रा, उप-पैमाने पर संचालन, सीमित मूल्य संवर्धन क्षमताएं, खराब बाजार संबंध, प्रतिभा को आकर्षित करने में असमर्थता और रणनीतिक सोच और योजना की कमी। प्रोडयूसर कंपनी की कल्पना, प्रचार और समर्थन में इन चुनौतियों और विचारों को दूर करने के लिए नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है। एफ़पीओ को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं

सरलीकृत कानूनी और नियामक दृष्टिकोण

प्रोड्यूसर कंपनी के समग्र स्वास्थ्य के लिए मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सरल कानूनी दृष्टिकोण समय की मांग है। उत्पादक कंपनियों को ब्लॉक या जिला स्तर पर दो-स्तरीय मॉडल में बढ़ावा दिया जाएगा, जो सामूहिक रूप से बहु-वस्तुओं और मूल्य-संवर्धन और विपणन को संभालेंगे।

एकल-स्तरीय मॉडल की तुलना में कई वस्तुओं की खरीद और मूल्य-संवर्धन को बेहतर बनाता है। छोटे उत्पादकों के संदर्भ और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादक कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की फिर से जांच की जानी चाहिए। विनियमों को कंपनी विनियमों में संशोधन करके या तो कुछ आवश्यकताओं से प्रोड्यूसर कंपनी के लिए छूट की अनुमति देकर और/या प्रोड्यूसर कंपनी विशिष्ट नियम बनाकर संशोधित किया जा सकता है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) को प्रोड्यूसर कंपनी के लिए विभेदक अनुपालन आवश्यकताओं की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। एफपीओ के पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क कम किया जाना चाहिए। हालांकि पंजीकरण शुल्क सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन कुछ निजी फर्म भारी शुल्क ले रही हैं। निदेशक पंजीकरण और जियोटैगिंग जैसे अनुपालन फाइलिंग को सरल बनाया जाना चाहिए और जहां भी संभव हो, कागज के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी शेयरधारकों को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जिनके अधिकारों को कंपनी अधिनियम 2013 की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करके मजबूत शासन और नियामक तंत्र के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए।

एग्रिगेटर्स का एकत्रीकरण

मौजूदा एफपीसी का एकत्रीकरण महत्वपूर्ण है। संस्थागत स्तर पर, संघ सदस्य एफपीसी के अनुपालन और समन्वय की चुनौतियों से निपटने में काफी हद तक सक्षम रहे हैं। क्षमता और पूंजी की चुनौतियां अभी भी अस्पष्ट हैं और दूसरे स्तर के संस्थानों के मॉडल को अभी भी इसमें लंबी यात्रा तय करनी है। संघ/संघ मॉडल बहुत कुछ वादा करता है और ऐसा लगता है कि इसमें मूल्य श्रृंखला में किसान समूहों को मजबूत करने की क्षमता है, बशर्ते एफपीसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण विकसित किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों में, यह महसूस किया जाता है कि एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर के लिए एग्रीगेटर समय की मांग है। फसल, क्षेत्र सामाजिक स्थिति के मामले में समरूप छोटे समूहों को आसानी से टटोला जा सकता है और उचित स्तर पर एक संघ पंजीकृत किया जा सकता है। संघ विनियामक मुद्दों, व्यापार और अन्य गतिविधियों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एकीकरण का ध्यान रखेगा जो छोटे समूहों के लिए करना मुश्किल है। हालांकि, ऐसे संघों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी। अब तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों में 9 ऐसी राज्य स्तरीय उत्पादक कंपनियों (एसएलपीसी) को एसएफएसी द्वारा समर्थन दिया गया है। ये महासंघ सरकार की विस्तार प्रणाली और नीतिगत मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। महासंघों की स्थापना से छोटे एफपीओ के सदस्य उत्पादन तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बाजार की मांग के अनुसार अपनी गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। ऋण, इनपुट, सूचना और विपणन तक पहुँच प्रदान करने में महासंघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महासंघ एफपीओ के हितधारकों के बीच लाभ के समान बंटवारे के तत्व के साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एकीकरण के माध्यम से अपने व्यवसाय में व्यावसायिकता भी ला सकता है। एकीकृत मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण सरकार को कुशल मूल्य श्रृंखलाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कमोडिटी-विशिष्ट एफपीओ जो अपनी उपज को परखने, ग्रेड करने और पैकेज करने में सक्षम हों, और निजी क्षेत्र को रसद, भंडारण, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण आदि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब तक इन मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाया नहीं जाता, तब तक सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर के आधार पर आय सहायता नीति के माध्यम से मदद कर सकती है, जो छोटे और सीमांत किसानों की ओर झुकी हुई है, बाजारों या फसल पैटर्न को विकृत करने से बचने के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से। एफपीओ को उनके संचालन को बढ़ाने के लिए समर्थन देने से निश्चित रूप से अधिक लाभांश मिलेगा।

एफपीसी इनक्युबेटर एजेंसियाँ

'इनक्युबेटर' की तर्ज पर एफपीसी को सहायता देने वाली एजेंसियाँ स्थापित की जानी चाहिए। ये इनक्युबेटर एफपीसी में व्यावसायिक कौशल ला सकते हैं और एफपीसी के प्रवर्तक के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारत में उभर रहे स्टार्ट-अप्स का पैटर्न भी ऐसा ही है, हालाँकि वे अलग-अलग हैं क्योंकि वे एक व्यक्ति द्वारा संचालित होते हैं जबकि एफपीसी समुदायों द्वारा संचालित होते हैं। यह विचार एफपीसी के बीच विविधता की समझ पर आधारित है और उनकी ज़रूरतें स्टार्ट-अप्स की ज़रूरतों के समान हैं।

एग्रीटेक स्टार्टअप्स के ज़रिए आईसीटी का लाभ उठाना

एग्रीटेक स्टार्टअप्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों में सूचना विषमता के अंतर को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की उपलब्धता, स्मार्टफोन की पहुँच, क्लाउड-आधारित इंटरनेट सेवाएँ और रिमोट सेंसिंग की संभावनाओं ने उनका काम बहुत आसान कर दिया है। आईसीटी, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, IoT जैसी तकनीक के आगमन के साथ एग्रीटेक कंपनियों के पास कृषि क्षेत्र में चिंताओं को दूर करने का अवसर है, जिसका सामना विशेष रूप से छोटे किसानों को करना पड़ता है।

अनुकूलित क्षमता निर्माण

समूह के सदस्यों के बीच प्रभावी कामकाज की दक्षता बढ़ाने के लिए

क्षमता निर्माण का अधिक महत्व है। इन संगठनों के उन्मुखीकरण और क्षमता निर्माण में प्रमोटरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। केवल सदस्यों के एकत्रीकरण या समूहों के गठन से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। विस्तार कार्यकर्ताओं, बैंकरों, सीईओ, निदेशक मंडल और किसानों जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं सहित सभी हितधारकों की अनुकूलित और निरंतर क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। जागरूकता अभियान, संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करने और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समर्पित और ब्लॉक स्तरीय संस्थान बनाया जा सकता है।

सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देना

पूंजी की कमी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, उत्पादक कंपनी अधिनियम 2002 किसानों की कुल इक्विटी के सापेक्ष प्रति बाहरी निवेशक इक्विटी की अधिकतम राशि को सीमित करके, बिना किसी मतदान अधिकार के शेयरों की एक अलग श्रेणी के माध्यम से बाहरी पूंजी जुटाने के लिए प्रोडयूसर कंपनी को बढ़ावा देगा, और प्रति बाहरी निवेशक इक्विटी की अधिकतम राशि पर प्रतिबंध लगाएगा।

सेबी जैसी व्यवस्था का निर्माण

नीति में शेयरधारकों के लिए सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में शेयरधारक सुरक्षा के लिए सेबी के प्रावधानों के समान, क्योंकि उत्पादकों को न तो अपने अधिकारों की जानकारी होती है और न ही अंतिम निर्णय के निहितार्थों की।

एफपीसी के लिए अलग सीआईएन

उत्पादक कंपनियों के लिए कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) में एक अलग पहचानकर्ता बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए सीआईएन समान है। इससे उत्पादक कंपनियों की ट्रैकिंग और विनियमन में मदद मिलेगी।

ओपन एक्सेस डेटा

विभिन्न श्रेणियों की कंपनियों के लिए विभेदित नियामक आवश्यकताओं को पेश करने के लिए विनियामक उद्देश्यों के लिए विश्वसनीय डेटा तक पहुंच भी महत्वपूर्ण है। भविष्य की नीति और हस्तक्षेपों के डिजाइन को बेहतर ढंग से सूचित करने के लिए शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को उत्पादक कंपनियों के डेटा उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सीएसआर और सार्वजनिक निजी भागीदारी का लाभ उठाना

सामाजिक उद्यमों, स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों, फंडिंग एजेंसियों और उद्यमिता-उन्मुख फेलोशिप से व्यावसायिक विशेषज्ञता लाई जा सकती है, जिसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पर्याप्त प्रतिभा और कौशल उपलब्ध हैं।

आसान पहुंच के लिए एफपीओ विशिष्ट ऋण उत्पादों का विकास

विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि भारत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब तक प्रचारित 9000 से अधिक एफपीओ में से 49% एफपीसी की चुकता पूंजी ₹1 लाख या उससे कम है, 16.5% एफपीसी की चुकता पूंजी ₹1 लाख से 5 लाख के बीच है, 21.2% एफपीसी की चुकता पूंजी ₹1 लाख से 5 लाख के बीच है और केवल 14% एफपीसी की चुकता पूंजी ₹10 लाख या उससे अधिक है। व्यवसाय चलाने के लिए पूंजी बहुत महत्वपूर्ण है हालांकि पूंजी का विषम वितरण इंगित करता है कि किसान की पूंजी में योगदान करने की क्षमता निराशाजनक है। इसके अलावा एफपीओ की आवश्यकता के बारे में जागरूकता की कमी के कारण किसानों में पूंजी के लिए योगदान करने की आशंका है। क्षेत्र के अनुभवों से पता चलता है कि अगर किसान से 500 से 1000 रुपये की शेयर पूंजी के लिए भी कहा जाता है, तो स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि प्रमोटरों को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक किसान को फसल कटने के बाद आय का एहसास नहीं हो जाता। इसलिए एफपीओ के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एफपीओ विशिष्ट ऋण उत्पाद विकसित करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सरकारी योजनाओं और पहलों का अभिसरण

देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत एफपीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सरकारी योजनाओं और पहलों के अभिसरण और उन्हें एक छतरी के नीचे लाने की सख्त जरूरत है। यह अभिसरण योजना, प्रक्रिया और कार्यान्वयन के संदर्भ में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के बीच तालमेल लाएगा। अन्य स्रोतों से धन के अभिसरण से टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण में मदद मिल सकती है जो एफपीओ के सतत विकास को भी सुविधाजनक बनाएगी।

महिला एफपीओ को बढ़ावा देना

महिला किसान कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन अक्सर अदृश्य रहती हैं। पुरुषों की तुलना में उनके पास सूचना, संसाधन, भूमि, विस्तार सेवाओं, ऋण, प्रौद्योगिकी और स्थानीय संस्थानों तक पहुंच की कमी है, जिससे उनकी एजेंसी सीमित हो जाती है और उत्पादकता में कमी और कार्यबल की भागीदारी में कमी के साथ समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इन कारकों के कारण, निर्णय लेने और बाजार से संबंधित गतिविधियों में उनकी भागीदारी कम है। बढ़ती आय के साथ, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यावसायीकरण में वृद्धि देखी जा रही है जिससे नए उद्यम उभर रहे हैं - इससे महिलाओं की भूमिका और भी कम हो जाती है और आर्थिक नौवहन के अवसर भी कम हो जाते हैं। महिलाओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने, संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और बेहतर आय बनाए रखने के लिए केवल महिला एफपीओ को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ

मंत्रालय के परिचालन दिशानिर्देशों और क्लस्टर बिजनेस संगठनों जैसे अन्य सहायक तंत्रों में दिए गए प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं और कार्यान्वयन एजेंसियों को सुनिश्चित करेगा कि वे अधिक महिला भागीदारी वाली मूल्य श्रृंखलाओं का पता लगाएँ, महिलाओं को शामिल होने के लिए अनुकूलित करें और नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करें।

देश भर में एफपीओ के विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 नए एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देश, एफपीओ के लिए एक सक्षम व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समावेशी और टिकाऊ एफपीओ विकसित करने का एक तरीका है। देश में सहकारिता के अनुभव से पता चलता है कि भले ही 92.5% पुरुषों की तुलना में सहकारी समितियों में केवल 7.5% महिलाएं भाग लेती हैं, फिर भी 693,000 महिलाओं की कुल सदस्यता वाली 8,171 महिला सहकारी समितियों 5 जिनमें सहकारी बैंक, स्टोर, खाद्य विक्रेता शामिल हैं, ने पुरुष सहकारी समितियों की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पंचायतों की तर्ज पर, जहां कई राज्यों ने महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की हैं और सहकारी समितियों में 33% प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है

वैज्ञानिक विधि से जायद मौसम में हरी खाद उत्पादन तकनीक

डॉ. अंकित तिवारी
विषय वस्तु विशेषज्ञ
ला.ब.शा. कृषि विज्ञान केन्द्र,
गोपालग्राम गोण्डा
ईमेल : ankit.0768@gmail.com

अभिषेक मिश्रा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, (पशुपालन विज्ञान), ला.ब.शा. कृषि विज्ञान केन्द्र, गोपालग्राम गोण्डा

पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रमुख रूप से होती है जिसमें कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। किसान अधिक उत्पादन लेने हेतु मिट्टी में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है जिसमें दिन-प्रतिदिन मृदा की उर्वरता कम होती जा रही है। इन रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा में बंजरता बढ़ती जा रही है तथा उत्पादन में स्थिरता देखने को मिल रही है तथा मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने हेतु हरी खाद का उपयोग बहुत ही आवश्यक एवं लाभकारी है। हरी खाद के रूप में मुख्यतः दलहनी फसलों में सनई, ढैंचा, उर्द-मूंग, लोबिया, इत्यादि का उपयोग किया जाता है। दलहनी फसलों में यह खासियत पाई जाती है कि उनकी जड़ों में गांठे पाई जाती है जो वातावरण की नत्रजन को पौधों की जड़ों में संरक्षित करती है जो की मृदा को मिल जाती हरी खाद की फासले जो जायद के मौसम में खाली पड़े हुए खेत में लगा दिया जाता है जो कि वातावरण के नत्रजन एकत्रित करने के कारण मृदा में सुरक्षित रखते हैं तथा 40 से 45 दिन की अवस्था में फूल आने से पहले मृदा में मिला दिया जाता है जिससे मृदा को पर्याप्त मात्रा में जीवाष्म प्राप्त हो जाता है जो मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं में सुधार करने का कार्य करता है ।

हरी खाद से लाभ:

- मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि
- पोषक तत्वों की आपूर्ति
- खरपतवार नियंत्रण
- मिटटी की संरचना में सुधार
- रोग चक्र को रोकना, इत्यादि|

विधि:

हरी खाद को पूर्ण रूप से सड़ने हेतु मृदा में नमी होना अति आवश्यक है जिससे मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीव अपनी सड़ाने की प्रक्रिया अमोनीकरण करते हैं और नत्रजन को आगामी फसलों को सुलभ रूप में उपलब्ध भी कराने का कार्य भी करते हैं ।

हरी खाद की पलटाई का सही समय:

हरी खाद की पलटाई अधिकतम वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था तक पहुंचने पर कर देनी चाहिए जिससे अधिक मात्रा में जीवाश्म मृदा को प्राप्त हो सके जिसका सही समय 40 से 45 दिन की अवस्था का होता है । अधिक दिन तक छोड़ने पर पौधा पुष्पन की अवस्था प्राप्त कर लेता है जिससे पोषक तत्व प्रजनन अवस्था में चले जाते हैं इसलिए जब पुष्पम की अवस्था आने वाली हो उससे पहले ही तथा आगामी फसल से 10 से 12 दिन पूर्व भी मृदा में अच्छे से हरी खाद को मिला देना चाहिए जिससे आगामी फसल को पोषक तत्व के रूप में प्राप्त हो सके।

हरी खाद हेतु प्रमुख फसलें :

हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख फसलें निम्नलिखित है:

सनई : (Sunn Hemp)

यह तेजी से बढ़ने वाली दलहनी फसल है जो हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है। इसको मृदा में मिलने से निक्षालन (लीचिंग) तथा पोषक तत्वों के ह्रास से बचा जा सकता है। इसको प्रतिकूल स्थितियों जैसे- सूखा, क्षारीय, इत्यादि अवस्था में भी उग सकते हैं। प्रमुख रूप से इसकी खेती महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में की जाती है।

- अनुकूल वातावरण एवं तापमान : 25-35 डिग्री सेंटीग्रेड
- वर्षा : 400-1000 मिलीमीटर
- प्रजातियां : नरेंद्र सनई-1, पी.ए.यू.- 1691, अंकुर, टी-6
- बीज दर : हरी खाद हेतु 15-20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुवाई करें।
- उर्वरक : बुवाई के समय फास्फोरस 16 किलोग्राम प्रति एकड़
- सिंचाई : 2 से 3 सिंचाई

- कटाई एवं मिट्टी में मिलना : 40 से 55 दिन की अवस्था में मृदा में मिला दें, यदि बीज हेतु है तो 140 से 150 दिन में कटाई करें।

ढैंचा:(Sesbania)

इसको प्रमुख रूप से हरी खाद के रूप में लिया जाता है या मृदा की भौतिक संरचना के सुधार के साथ-साथ आगामी फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति को भी ठीक करने का कार्य करती है|

- अनुकूल तापमान : 22-35 डिग्री
- वर्षा : 700-800 मिलीमीटर
- प्रजातियां : पंजाब ढैंचा-1, लक्ष्मी, प्रताप, चंबल ढैंचा, सी.एस. डी.-123, 137, इत्यादि।
- बीज दर : हरी खाद हेतु 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से तथा दाने हेतु 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर|
- उर्वरक : बुवाई के समय फास्फोरस 12 किलोग्राम प्रति एकड़
- सिंचाई : 3 से 4 सिंचाई
- कटाई एवं मिट्टी में मिलाई : 40 से 55 दिन की अवस्था में मृदा में मिला दें, यदि बीज हेतु है तो 140 से 150 दिन में कटाई करें।

लोबिया: (Cowpea)

- लोबिया दाने, बीज, हरी खाद एवं चारे सभी में प्रयोग होने वाली वार्षिक दलहनी फसल है। खरपतवार नियंत्रण हेतु भी यह फसल कारगर है। मृदा में नमी रोकने में सहायक होने के साथ ही साथ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन का अच्छा स्रोत है।
- अनुकूल वातावरण एवं तापमान : 22-35 डिग्री सेंटीग्रेड
- वर्षा : 750-1100 मिलीमीटर
- प्रजातियां : काशी कंचन, काशी उन्नति, पूसा कोमल, पूसा फाल्गुनी, इत्यादि
- बीज दर : 15-20 किलोग्राम प्रति एकड़ हरी खाद हेतु
- उर्वरक : बुवाई के समय 17-18 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया एवं 140 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से बुवाई करने पर पौधों की जड़ों तथा पौधों के वृद्धि को पोषक तत्व लेने तथा जड़ों में नोड्यूल्स को बढ़ाता है|
- सिंचाई : 4 से 5 सिंचाई आवश्यकतानुसार करनी चाहिए|
- कटाई एवं मिट्टी में मिलाई : 50 से 55 दिन पर कर देनी चाहिए|

मूंग : (Moongbean)

एक दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में गांठे पाई जाती है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थरीकरण करने का कार्य करती हैं लगभग 15 से 20 किलो ग्राम प्रति एकड़ नाइट्रोजन मूंग की फसल द्वारा स्त्री कारण किया जाता है एवं फसल की कटाई उपरांत जड़ तना पत्तियों के रूप में लगभग 1-1.5 टन प्रति हेक्टेयर जैविक पदार्थ भूमि को मिल जाता है जो मृदा की जैविक कार्बन बढ़ता है तथा भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाती है|

अनुकूल वातावरण तापमान : अच्छी वृद्धि एवं विकास हेतु 25-32 डिग्री सेंटीग्रेड

- वर्षा : 750-900 मिलीमीटर
- बीज दर : बीज दर 12 से 14 किलोग्राम प्रति एकड़
- प्रजातियां : नरेंद्र मूंग-1, पंत मूंग-2,4, आई.पी.एम., एच.यू. एम.-6, इत्यादि|
- उर्वरक : बुवाई के समय 8-10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16-18 किलोग्राम फास्फोरस, 8-9 किलोग्राम पोटाश तथा 7-8 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें|
- सिंचाई : 2 से 4 सिंचाई
- कटाई एवं मृदा में पलटाई : 50 से 55 दिन|

उपरोक्त फसलें प्रमुख रूप से हरी खाद हेतु उत्पादन की जाती है जो मृदा की संरचनाओं एवं दशाओं के सुधार के साथ-साथ मृदा की उर्वरता जीवाश्म कार्बन को बढ़ाता है जिससे आगामी फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। मृदा से उत्पादन लेने के साथ-साथ मृदा के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना अति आवश्यक है इसलिए वर्ष भर में कम से कम एक बार हरी खाद का उत्पादन करना आवश्यक है। हरी खाद मृदा में मौजूद सूक्ष्मजीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं, सूक्ष्म जीव मृदा में रहकर मृदा की संरचना में सुधार करते है जैसे- मृदा में भुरभुरापन, वायु संचार, पोषक तत्वों की उपलब्धता, इत्यादि में एक अहम भूमिका निभाते हैं जिससे न केवल मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है तथा विभिन्न प्रकार की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं में भी सुधार होता है। मृदा में सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाई जाए इसलिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम हरी खाद की खेती करके आगामी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ मृदा के स्वास्थ्य में सुधार लाने का कार्य कर पाना संभव हो जाता है।

जेंडर समानता को सशक्त बनाने के लिए जेंडर संवेदनशीलता

श्रीमती. एस. एल. कामेश्वरी
कन्सलटेंट
जेंडर स्टडीज, मैनेज
ईमेल : kammu1961@gmail.com

जेंडर संवेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जेंडर समानता से जुड़ी चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है और अन्य जेंडर के प्रति तथा स्वयं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाया जाता है। यह दृष्टिकोण लोगों के "व्यक्तिगत दृष्टिकोणों और विश्वासों की जाँच करने तथा उन वास्तविकताओं पर सवाल उठाने" में मदद करता है जिन्हें वे जानते थे।

परिवार, कार्यस्थल और समाज में, पुरुष और महिलाएँ दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं। परिणाम स्वरूप, यह ज़रूरी है कि समाज में उन दोनों का सम्मान हो और वे गौरवपूर्ण जीवन जी सकें। किसी भी संगठन में जेंडर असंवेदनशीलता और वेतन में असमानता के कारण उत्पादकता कमी होगी, कर्मचारियों की अनुपस्थिति बढ़ेगी और नौकरी छोड़ने की दर भी बढ़ेगी। जेंडर के बीच समतुल्य समग्र रूप से समाज में संस्कृति के लिए अनुकूल है। जेंडर संवेदीकरण से जेंडर न्याय, समानता और समावेशन आ सकता है।

जेंडर संवेदीकरण, जेंडर समानता संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा और व्यवहार संशोधन को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, यह लोगों को जेंडर समानता या इसकी कमी के बारे में जागरूक करने की प्रक्रिया है, ताकि जेंडर भेदभाव को खत्म करने की ज़रूरत को समझाया जा सके। इसमें समाज में प्रचलित मौजूदा जेंडर भूमिकाओं, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को समझना और चुनौती देना शामिल है। जेंडर संवेदीकरण का लक्ष्य एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाना है, जहाँ व्यक्तियों के साथ उनके जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो।

जेंडर संवेदीकरण का महत्व

जेंडर संवेदीकरण का मतलब है लोगों को विभिन्न लिंगों के बारे में सिखाना। इसमें यह समझाना शामिल है कि सभी के साथ, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, सम्मान और बराबरी से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके महत्वपूर्ण होने के कुछ कारण है:

» **समावेशी समाज:** जेंडर संवेदीकरण समाज को अधिक समावेशी और निष्पक्ष बनाने में मदद करता है। ऐसा समाज जहाँ सभी के साथ, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, सम्मान और बराबरी से व्यवहार किया जाता है।

» **बेहतर स्वास्थ्य:** जेंडर संवेदीकरण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच मिले, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो।

» **निष्पक्ष समाज:** जेंडर संवेदीकरण समान अवसरों को बढ़ावा देकर चीज़ों को बेहतर बनाता है। शिक्षा, रोज़गार और अन्य क्षेत्र प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। यह गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास में सुधार करने में मदद कर सकता है।

» **सहानुभूति:** जेंडर संवेदीकरण लोगों को सभी के प्रति दयालु होना सिखाता है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। यह ऐसी दुनिया बनाने में मदद करता है जहाँ लोग एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और उन्हें समझते हैं, चाहे वे कोई भी हों।

जेंडर संवेदीकरण के लाभ

निम्नलिखित तरीकों से जेंडर संवेदीकरण लाभकारी हो सकता है:

» यह एक-दूसरे के प्रति सम्मान और विभिन्न जेंडर के लोगों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है।

» यह ट्रांसजेंडर लोगों, पुरुषों, महिलाओं और अन्य मार्जिन पर खड़े समूहों के खिलाफ हिंसा और अपराध को कम करने में मदद कर सकता है।

» यह लोगों को अपनी सोच और दृष्टिकोण को समायोजित करने में मदद करता है और कार्यस्थल में श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं का मनोबल बढ़ाता है।

» यह जेंडर पूर्वाग्रहों को समाप्त करता है।

» इससे जेंडर समानता में वृद्धि होगी।

» यह रोज़गारशुदा महिलाओं के प्रतिशत में सुधार करता है।

» समाज को अधिक समावेशी बनाने से महिलाओं को अधिक निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी।

- यह लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता करता है।

जेंडर संवेदीकरण से संबंधित चुनौतियाँ

जेंडर संवेदीकरण अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। जेंडर संवेदीकरण से जुड़ी कुछ मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- **बदलाव का विरोध:** जेंडर संवेदीकरण में अक्सर लोगों के गहरे बैठे विचारों और व्यवहारों को चुनौती देना शामिल होता है। लिंग से जुड़ा ऐसा व्यवहार विरोध या आपत्ति का सामना कर सकता है। यह विरोध उन व्यक्तियों या समूहों से आ सकता है जो यथास्थिति बनाए रखने में लगे हैं। वे पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं में बदलाव से खतरा महसूस कर सकते हैं।

- **जागरूकता की कमी:** बहुत से लोगों को लिंग से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों के बारे में पता नहीं होता, और वे जेंडर संवेदीकरण की ज़रुरत नहीं समझते। जागरूकता की यह कमी लोगों को जेंडर संवेदीकरण में शामिल करना मुश्किल बना सकती है और इस विषय में उदासीनता या अरुचि पैदा कर सकती है।

- **सीमित संसाधन:** लैंगिक संवेदीकरण पहलों को सीमित संसाधनों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें धन, कर्मचारी और समय शामिल हैं। सीमित संसाधन प्रभावी लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम विकसित करने और लागू करने में मुश्किल पैदा करते हैं। यह समस्या खास तौर पर उन जगहों पर ज़्यादा होती है जहाँ संसाधनों की कमी होती है।

- सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाज - लैंगिक संवेदीकरण के प्रयासों के लिए चुनौती बन सकते हैं।

- भाषा और संचार की बाधाएँ जेंडर संवेदीकरण पहलों में विभिन्न समुदायों को शामिल करना मुश्किल बना देती हैं, खासकर बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक संदर्भों में। सफल जेंडर संवेदीकरण पहलों के लिए सांस्कृतिक और भाषाई रूप से उचित रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

जेंडर संवेदीकरण की दिशा में सरकारी योजनाएँ

दुनिया भर में कई सरकारों ने जेंडर संवेदनशीलता के प्रति विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जेंडर समानता को बढ़ावा देना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। बाल विवाह और अन्य जेंडर आधारित भेदभाव को खत्म करना भी इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। इस योजना में जागरूकता अभियान और लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। इसमें लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अन्य उपाय भी किए जाते हैं।

- **वन-स्टॉप सेंटर :** वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता सेवाएँ प्रदान करता है। इसमें परामर्श, चिकित्सा सहायता और कानूनी सहायता जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें सेवाओं और सहायता तक पहुँच मिले।

- **महिला हेल्पलाइन :** महिला हेल्पलाइन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह संकट में फँसी महिलाओं के लिए 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा प्रदान करती है। यह हेल्पलाइन परामर्श, रेफरल सेवाएँ और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य लक्ष्य उन महिलाओं की मदद करना है जो हिंसा, उत्पीड़न या अन्य जेंडर आधारित भेदभाव का अनुभव करती हैं।

- **महिला ई- हाट :** भारत सरकार ने महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म एक वर्चुअल बाज़ार प्रदान करता है। यह महिलाओं को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने में मदद करता है, जिससे वे संभावित ग्राहकों से जुड़ पाती हैं।

- **सुरक्षित शहर :** भारत सरकार ने सुरक्षित शहर पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाना है। इसमें बेहतर रोशनी, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं। इस तरह, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बनाए जाते हैं।

केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 में जेंडर-केंद्रित आवंटन को मज़बूती मिली: केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने महिला और बाल विकास के लिए प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला, पोषण से लेकर उद्यमिता तक: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के लिए व्यापक दृष्टिकोण का अनावरण किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 के मुख्य प्रावधानों पर बात की और बच्चों व माताओं के पोषण को बेहतर बनाने तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों की घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर-केंद्रित आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती

है। जेंडर बजट अब कुल बजट का 8.86% हो गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 6.8% था। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने जोर देकर कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) इन प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके बजट का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न लक्षित पहलों के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। यह जेंडर समानता और महिला-नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है।

महिला कल्याण के लिए ₹4.49 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष से 37.25% की वृद्धि दर्शाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने बजट का 81.79% जेंडर-केंद्रित कार्यक्रमों के लिए आवंटित करते हुए सबसे आगे है।

महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा, "महिला उद्यमी भारत की आर्थिक प्रगति के पीछे एक प्रेरक शक्ति हैं। लक्षित वित्तीय सहायता और कौशल-निर्माण कार्यक्रम प्रदान करके, हम एक समावेशी और न्यायसंगत उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने 7वें पोषण पखवाड़ा की भी घोषणा की, जो दिनांक 18 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक मनाया जाएगा, जिसमें चार मुख्य विषयों पर आधारित परिणाम-आधारित गतिविधियाँ होंगी:-

» जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान दें
» लाभार्थी मॉड्यूल का लोकव्यापीकरण
» सीएमएएम मॉड्यूल के कार्यान्वयन के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन
» बच्चों में मोटापे को रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली

इसके अलावा, पोषण पखवाड़ा 2025 से लेकर 2025 के अंत में 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों की घोषणा तक, समुदायों के लिए लगातार संवेदीकरण गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी।

कुपोषण से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, मंत्रालय ने दिनांक 26 दिसंबर, 2024 को भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान सुपोषित पंचायत योजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य देश भर की शीर्ष 1000 ग्राम पंचायतों को जमीनी स्तर पर पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए उनके असाधारण प्रयासों हेतु 'सुपोषित ग्राम पंचायत' के रूप में पहचानना और पुरस्कृत करना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दस साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए गए 100-दिवसीय अभियान के तहत, देश भर में 1,342 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,410 जनप्रतिनिधियों सहित 13 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन गतिविधियों में कई तरह की पहलें शामिल थी, यथा:

» मासिक धर्म स्वच्छता और पीसी/पीएनडीटी अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम
» पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देने वाले वृक्षारोपण अभियान
» शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए मेधावी छात्राओं को सम्मानित करना

इस अभियान ने लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने और देश भर में युवा लड़कियों की भलाई और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के संकल्प को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास, पोषण सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अपने मिशन में दृढ़ है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक स्वस्थ, मजबूत और अधिक सशक्त भारत के निर्माण के अपने एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहा है।

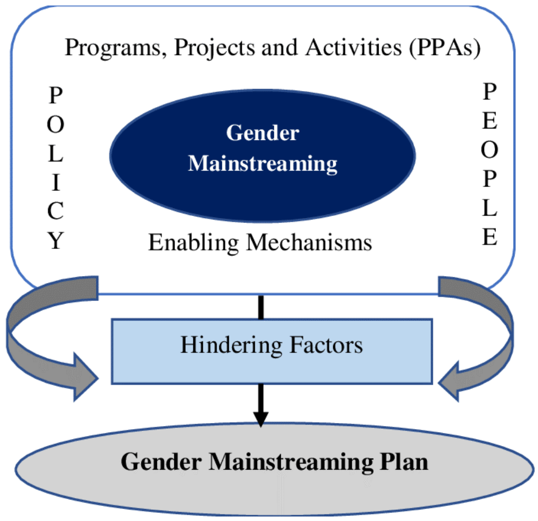

कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स के लिए आधुनिक वीडियो निर्माण तकनीकें

श्री. कृष्णा रामराव
आऊटरीच स्पेसिऍलिस्ट
मैनेज, हैदराबाद
ईमेल : krushna.manage@gmail.com

कृषि विस्तार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसानों को नवीनतम ज्ञान, प्रौद्योगिकियों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे उनकी खेती की विधियों, उत्पादकता और आजीविका में सुधार हो सके। समय के साथ, कृषि विस्तार का कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली, विशेष रूप से वीडियो-आधारित संचार की कार्यप्रणाली तथा कामकाज उल्लेखनीय रूप से विकसित हुआ है। पिछले 3 दशकोंमे वीडियो एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है, जो जटिल कृषि पद्धतियों को दृश्यात्मक, आकर्षक और सहज रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है। यह माध्यम प्रदर्शन, विशेषज्ञ परामर्श और सफलता की कहानियों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे किसानों के लिए प्रासंगिक, स्मरणीय और आसानी से साझा करने योग्य बन जाएं। कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स के लिए ये तकनीकें वैज्ञानिक ज्ञान और क्षेत्र-स्तरीय अनुप्रयोग के बीच की दूरी को पाटने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं, विशेषतः ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। कोविड-19 महामारी के दौरान, जब प्रत्यक्ष संवाद सीमित था, तब डिजिटल पहुंच हेतु वीडियो एक अनिवार्य साधन बन गया। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-सक्षम उपकरणों के आगमन से वीडियो निर्माण अधिक सुलभ और प्रभावी हो गया है। उदाहरण के लिए:

» चैट-जीपीटी (ChatGPT) – स्पष्ट एवं अनुकूलित स्क्रिप्ट तैयार करता है।
» जैस्पर (Jasper) – उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करता है।
» कॉपी.एआई (Copy.ai) – संक्षिप्त और रोचक स्क्रिप्ट बनाता है।
» स्टोरीबोर्ड हीरो (Storyboard Hero) – पाठ से स्वतः स्टोरीबोर्ड बनाता है।
» सेल्टएक्स (Celtx) – दृश्यों की संरचना और निर्माण प्रवाह में सहायता करता है।
» डिस्क्रिप्ट (Descript) – टेक्स्ट संपादन के माध्यम से वीडियो को संपादित करता है, साथ ही स्वतः उपशीर्षक एवं वॉयसओवर जोड़ता है।
» रनवे एमएल (Runway ML) – एआई आधारित संपादन और दृश्य संवर्द्धन प्रदान करता है।
» डाविन्ची रिज़ॉल्व (DaVinci Resolve) – सुधारित रंग सुधार तथा रंग ग्रेडिंग करता है।
» पिक्टरी (Pictory) – टेक्स्ट को लघु वीडियो में परिवर्तित करता है।
» सिंथेशिया (Synthesia) – वर्चुअल प्रस्तुतकर्ताओं के साथ एआई-निर्मित वीडियो तैयार करता है।

ये सभी उपकरण स्क्रिप्ट लेखन से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन तक की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल, तेज और प्रभावशाली बनाते हैं। कम समय में निर्माण और व्यापक प्रसार की संभावनाओं के साथ, आधुनिक वीडियो तकनीकें कृषि विस्तार के क्षेत्र में एक समावेशी, प्रभावशाली और मापनीय समाधान प्रस्तुत करती हैं।

कृषि विस्तार में वीडियो का महत्व:

इंटरनेट और मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी के उदय के साथ, वीडियो कृषि विस्तार तथा संचार का एक प्रमुख उपकरण बन गया है, जो तकनीकी ज्ञान और क्षेत्रीय स्तर की समझ के बीच की खाई को प्रभावी ढंग से पाटता है। विशेष रूप से इसका दृश्यात्मक और प्रासंगिक स्वरूप इसे विविध क्षेत्रों के किसानों को शिक्षित करने और जोड़ने के लिए प्रभावशाली बनाता है।

वीडियो-आधारित कृषि विस्तार की प्रमुख विशेषताएं:

» दृश्य अधिगम (Visual Learning): वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से तकनीकी अवधारणाओं को सरल बनाते हैं।
» भाषायी लचीलापन (Language Flexibility): सामग्री स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत की जा सकती है।
» व्यापक पहुंच (Wider Reach): मोबाइल फोन और इंटरनेट की उपलब्धता से बड़े पैमाने पर प्रसार संभव होता है।
» पुनः उपयोग की सुविधा (Reusability): एक बार निर्मित वीडियो को विभिन्न कार्यक्रमों में साझा और पुनः उपयोग किया जा सकता है।

कृषि विस्तार के लिए वीडियो के प्रकार:

कृषि विस्तार में विभिन्न प्रकार के वीडियो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। लक्षित दर्शकों और उपयोजित उद्देश्यों के अनुसार उपयुक्त

वीडियो प्रकार का चयन संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में सहायक होता है।

वीडियो का प्रकार	उद्देश्य	उदाहरण
प्रदर्शन वीडियो	विधियों/प्रौद्योगिकियों को "कैसे करें" के रूप में दिखाना	बीज उपचार, कलम बांधना
किसान अनुभव कथन	किसानो के सफलता की कहानियों के वीडियो	एफपीओ की कहानियाँ, नवाचार
कृषि विशेषज्ञ के साथ संवाद	वैज्ञानिक प्रमाणिकता प्रदान करना	कृषिवैज्ञानिक, पशु चिकित्सक के साथ संवाद का वीडियो
जागरूकता अभियान	जलवायु, पोषण जैसे मुद्दों पर संवेदनशील बनाना	मौसम सलाह, समेकित कीट प्रबंधन (IPM)
प्रशिक्षण मॉड्यूल	संरचित अधिगम कार्यक्रम प्रदान करना	जैविक खेती, कंपोस्ट निर्माण

वीडियो निर्माण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग:

वीडियो निर्माण मुख्यतः तीन प्रमुख चरणों में विभाजित होता है: पूर्व-निर्माण (Pre-production), निर्माण (Production), तथा उत्तर-निर्माण (Post-production)। इन चरणों में स्क्रिप्ट लेखन, कैमरा या मोबाइल आधारित रिकॉर्डिंग, डेस्कटॉप एवं मोबाइल पर वीडियो संपादन, तथा भाषा स्थानीयकरण जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है।

स्क्रिप्ट लेखन और योजना:

एक सुव्यवस्थित वीडियो स्क्रिप्ट में कुछ प्रमुख घटक होते हैं, जैसे कि:

- दृश्य शीर्षक (उदाहरण: बाहरी सीन. खेत – दिन),
- क्रिया विवरण,
- पात्रों के संवाद,
- तथा संक्रमण संकेत (जैसे CUT TO या FADE IN)।

वैकल्पिक तत्वों में कैमरा निर्देश, (संवाद लहजा, तरीखा तथा शरीर भाषा का संकेत), और समय, स्थान व वातावरण से संबंधित टिप्पणियाँ शामिल होती हैं, जो स्क्रिप्ट की स्पष्टता को और अधिक बढ़ाती हैं।

ये सभी तत्व वीडियो निर्माण टीम को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि इच्छित संदेश प्रभावी रूप से संप्रेषित हो।

स्क्रिप्ट लेखन में सर्वोत्तम पद्धतियाँ (Best Practices):

- स्पष्ट उद्देश्य और मुख्य संदेश को परिभाषित करें।
- बेहतर समझ के लिए सरल भाषा और स्थानीय शब्दों का चयन करें।
- संरचित प्रवाह का पालन करें: परिचय > मुख्य संदेश > निष्कर्ष।
- कृषि-विस्तार प्रैक्टिशनर्स Jasper और Copy.ai जैसे AI उपकरणों का उपयोग कर त्वरित और प्रभावी स्क्रिप्ट निर्माण कर सकते हैं।

मोबाइल-आधारित फिल्मांकन:

मोबाइल-आधारित फिल्मांकन कृषि विस्तार वीडियो निर्माण के लिए एक व्यावहारिक एवं किफायती उपाय बन गया है। इसमें स्मार्टफोन का उपयोग किया जाता है, जिसे स्थिर और स्पष्ट शॉट्स प्राप्त करने हेतु स्टेबिलाइज़र या ट्राइपॉड जैसे सामान्य सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है ।

सामान्यतः वीडियो शॉट्स को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- वाइड शॉट्स (Wide Shots): सम्पूर्ण खेत या वातावरण को दिखाने हेतु।
- मीडियम शॉट्स (Medium Shots): की विषय वस्तु तथा व्यक्ति का कोई चयनित भाग दिखने हेतु ।
- क्लोज-अप शॉट्स (Close-Up Shots): उपकरण या विशिष्ट क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु।
- ओवर-द-शोल्डर शॉट्स (Over-the-Shoulder Shots): आमतौर पर डेमोंस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त है ।

लैंडस्केप मोड में फिल्मांकन करना, उचित प्रकाश व्यवस्था—विशेषतः प्राकृतिक प्रकाश—का उपयोग करना, तथा अच्छी ऑडियो गुणवत्ता सुनिश्चित करना, प्रभावशाली वीडियो के निर्माण हेतु अत्यंत आवश्यक है।

मोबाइल-आधारित फिल्मांकन के लिए प्रमुख सुझाव:

- विषयवस्तु के अनुसार उपयुक्त शॉट प्रकार (वाइड, मीडियम, क्लोज-अप) का चयन करें।
- वीडियो को अस्थिर होने से बचाने के लिए ट्राइपॉड या स्टेबिलाइज़र का प्रयोग करें।
- स्क्रीन के अनुकूलता के लिए लैंडस्केप मोड में फिल्मांकन करें।
- प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करें और अपने परिसर शोर को न्यूनतम रखें।

ऑडियो रिकॉर्डिंग: स्पष्ट आवाज़, ज़्यादा प्रभाव

दृश्य जहाँ ध्यान आकर्षित करते हैं, वहीं ऑडियो संदेश पहुँचाता है। कृषि विस्तार वीडियो में स्पष्ट वॉयसओवर और परिवेशी आवाज यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि किसान आसानी से जानकारी समझ सकें, विशेषकर शोरगुल वाले ग्रामीण क्षेत्रों में। हमें सटीक

आवाज रिकॉर्डिंग करनेकेलिय सही माइक्रोफोन चयन करना बेहद जरुरी है I

माइक्रोफोन के प्रकार और उनके उपयोग:

- » लैपल (लावालियर) माइक: मुलाकात या फील्ड में वर्णन के लिए उपयुक्त।
- » शॉटगन माइक: दिशा-संवेदी माइक, दूरी से रिकॉर्डिंग के लिए उपयोगी; बाहरी वातावरण में केवल आवाज़ पर फोकस करता है।
- » कंडेन्सर माइक: स्टूडियो वॉयसओवर के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि रिकॉर्ड करता है; बैकग्राउंड शोर के प्रति संवेदनशील — शांत स्थानों के लिए उपयुक्त।
- » स्मार्टफोन माइक विंडशील्ड के साथ: किफायती और व्यावहारिक; विंडशील्ड बाहरी शोर को कम करने में मदद करता है।

बेहतर ऑडियो के लिए सुझाव:

- » माइक को बोलने वाले के मुँह से 6–8 इंच की दूरी पर रखें (विशेषकर लैपल माइक के लिए)।
- » तेज़ शोर जैसे हवा, ट्रैफ़िक, या मशीनरी के पास रिकॉर्डिंग करने से बचें।
- » वॉयसओवर शांत स्थान में रिकॉर्ड करें; प्रतिध्वनि कम करने के लिए कपड़े या फोम का प्रयोग करें।
- » रिकॉर्डिंग के दौरान हमेशा हेडफ़ोन लगाकर ऑडियो सुने ।

संपादन और संवर्द्धन (Editing and Enhancement)

फिल्मांकन किये गए वीडियो फुटेज को सार्थक और आकर्षक वीडियो में रूपांतरित करने में संपादन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान में, कंप्यूटर-आधारित एवं मोबाइल-आधारित दोनों प्रकार के टूल्स उपलब्ध हैं, जो तकनीकी कलात्मकता कम होने पर भी संपादन प्रक्रिया को सरल बनाते हैं।

सबटाइटल्स, वॉयसओवर (पार्श्व आवाज), संगीत और ग्राफिक्स जैसे संवर्द्धन तत्व जटिल या अमूर्त कृषि विषयों की स्पष्टता बढ़ाते हैं और दर्शकों की रूचि बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, ए आय (AI)-आधारित साधन (टूल्स) के उपयोग से संपादन प्रक्रिया और अधिक सहज, तेज़ तथा संसाधन-कुशल हो गई है, जिससे सीमित संसाधनों में भी उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो तैयार किए जा सकते हैं।

वीडियो एडिटिंग के लिए प्रमुख साधन (टूल्स):

कंप्यूटर-आधारित टूल्स: एडोबी प्रीमियर प्रो (Adobe Premiere Pro), एडोबी फोटोशॉप (Adobe Photoshop), काइनमास्टर (KineMaster), वीएन वीडियो एडिटर (VN Video Editor)

मोबाइल-आधारित टूल्स: इनशॉट (InShot), कैपकट (CapCut), काइनमास्टर (KineMaster), वीएन वीडियो एडिटर (VN Video Editor)

- » बेहतर समझ के लिए सबटाइटल्स, वॉयसओवर और क्षेत्रीय संगीत जोड़ें।
- » तकनीकी या अमूर्त विषयों को स्पष्ट करने हेतु ग्राफिक्स या एनीमेशन का उपयोग करें।
- » वीडियो की गुणवत्ता और कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु AI टूल्स का प्रयोग करें, जैसे:
- » कैनवा (Canva) – दृश्य तत्वों और टेम्पलेट्स के लिए
- » सिंथेशिया (Synthesia) – AI प्रस्तुतकर्ताओं के लिए
- » वंडरशेयर फिल्मोरा (Wondershare Filmora) – ए आय (AI)-सहायता प्राप्त संपादन के लिए

वीडियो निर्माण के विभिन्न चरणों में एकआई (AI) टूल्स का उपयोग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) टूल्स के एकीकरण ने वीडियो निर्माण की प्रक्रिया को स्क्रिप्ट लेखन से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन तक सरल और तेज़ बना दिया है। ये टूल्स विशेष रूप से उन कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स के लिए उपयोगी हैं जिनके पास सीमित समय, बजट या तकनीकी विशेषज्ञता होती है। नीचे दी गई तालिका प्रत्येक चरण में उपयोग किए जा सकने वाले प्रमुख AI टूल्स का सार प्रस्तुत करती है:

चरण	AI टूल	कार्य (सरल भाषा में)
1. स्क्रिप्ट लेखन	चैटजीपीटी (ChatGPT)	विषयों के आधार पर स्पष्ट और संरचित स्क्रिप्ट तैयार करता है।
	कॉपी.एआई (Copy.ai)	संक्षिप्त, रोचक वीडियो स्क्रिप्ट और टैगलाइन बनाता है।
2. स्टोरीबोर्डिंग	स्टोरीबोर्ड हीरो (Storyboard Hero)	दृश्यात्मक स्टोरीबोर्ड बनाता है।
	बोर्ड्स (Boords)	स्टोरीबोर्ड बनाने हेतु एआई (AI) सहायता करता है I
3. स्क्रीनप्ले / योजना	सेल्टएक्स (Celtx)	स्क्रिप्ट, दृश्यों और निर्माण अनुसूचियों का प्रबंधन करता है।
	प्लॉट जनरेटर (Plot Generator)	मूल स्क्रीनप्ले संरचनाएँ तैयार करने में सहायता करता है।

4. वीडियो संपादन	डिस्क्रिप्ट (Descript)	टेक्स्ट से ऑटो कैप्शन और वॉयसओवर सहित वीडियो संपादित करता है, ।
	रनवे एमएल (Runway ML)	एआई (AI) आधारित संपादन, ऑब्जेक्ट हटाना, पृष्ठभूमि (background) बदलना आदि।
5. कलरिंग / इफेक्ट्स	डाविंची रिज़ॉल्व (DaVinci Resolve) (AI फीचर्स)	स्मार्ट रंग सुधार टूल प्रदान करता है।
	ऑटोकलर एआई (AutoColor AI)	ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर ग्रेडिंग को स्वतः समायोजित करता है।
6. पोस्ट-प्रोडक्शन	पिक्टोरी (Pictory)	स्क्रिप्ट या ब्लॉग को लघु, परिष्कृत वीडियो में परिवर्तित करता है।
	सिंथेसिया (Synthesia)	टेक्स्ट को प्रोफेशनल और अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो में बदलता है।

भाषा स्थानीयकरण (Language Localization)

भाषा का स्थानीयकरण यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वीडियो सामग्री केवल समझने योग्य ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और स्थानीय कृषि समुदायों से जुड़ी हुई भी हो।

स्थानीय भाषाओं में सामग्री का अनुवाद करना और परिचित अभिव्यक्तियों का उपयोग करना सुलभता और विश्वास दोनों को बढ़ाता है। स्थानीय आवाज़ों को शामिल करना और एआई (AI)-आधारित अनुवाद टूल्स का उपयोग करना, विशेष रूप से बहुभाषी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, पहुंच और प्रभावशीलता को और अधिक सशक्त बनाता है।

प्रभावी स्थानीयकरण के लिए प्रमुख उपाय:

- सामग्री का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करें ताकि उसकी पहुंच और समझ में वृद्धि हो।
- डबिंग या सबटाइटलिंग करते समय क्षेत्रीय लहजे और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बनाए रखें।
- स्थानीय अनुभवी लोगों, किसानों या समुदाय के सदस्यों को शामिल करें ताकि सामग्री अधिक प्रासंगिक और भरोसेमंद लगे।
- तेज़, किफायती और सटीक स्थानीयकरण के लिए एआई (AI) आधारित अनुवाद उपकरणों का उपयोग करें।

प्रसार माध्यम (Dissemination Channels)

- वीडियो सामग्री को लक्षित कृषि समुदायों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने के लिए सुनियोजित प्रसार अत्यंत आवश्यक है।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सामुदायिक आधारित तरीकों के संयोजन से कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स प्रभाव, सहभागिता और पहुंच को अधिकतम कर सकते हैं।
- हर माध्यम की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं जो सुलभता, संवाद और विस्तार क्षमता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं।

माध्यम	पहुंच एवं लाभ
व्हाट्सऐप समूह (ग्रुप)	किसान नेटवर्कों में त्वरित साझा करने की सुविधा।
यूट्यूब और फेसबुक	व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच, और विश्लेषण (analytics) की सुविधा।
सामुदायिक स्क्रीनिंग्स	ग्राम-स्तरीय सहभागिता और समूह अधिगम को बढ़ावा।
किसान कॉल सेंटर	IVR/SMS के माध्यम से सहायक वीडियो लिंक प्रदान करना।
ई-नाम एवं कृषि पोर्टल्स	कृषि सेवाओं के साथ वीडियो का एकीकरण सुनिश्चित करता है।

कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स के लिए क्षमता विकास (Capacity Building for Practitioners)

वीडियो-आधारित विस्तार को प्रभावी और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए, कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स की क्षमताओं को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न केवल तकनीकी कौशल, बल्कि सामग्री निर्माण से संबंधित नैतिक पक्षों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, प्रैक्टिशनर्स को नवीनतम डिजिटल उपकरणों और रुझानों की जानकारी से निरंतर अद्यतन रखना आवश्यक है।

कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स क्षमता विकास के प्रमुख क्षेत्र:

- स्मार्टफोन आधारित वीडियोग्राफी और संपादन तकनीकों में प्रशिक्षण।
- सामग्री नियोजन, स्क्रिप्ट संरचना तथा दर्शक विश्लेषण की समझ।
- नैतिक विषयों जैसे सहमति (consent), प्रतिनिधित्व (representation), और कॉपीराइट के प्रति जागरूकता।

» डिजिटल प्रवृत्तियों, मोबाइल ऐप्स और एआई (AI) आधारित वीडियो टूल्स पर नियमित अद्यतन।

चुनौतियाँ और समाधान (Challenges and Solutions)

हालाँकि वीडियो-आधारित विस्तार में अपार संभावनाएँ हैं, फिर भी इसकी प्रभावशीलता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

नीचे दी गई तालिका में कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली प्रमुख समस्याएँ और उनके व्यवहारिक, क्षेत्र-प्रमाणित समाधान प्रस्तुत किए गए हैं:

चुनौतियाँ	समाधान
कम डिजिटल साक्षरता	फील्ड स्टाफ के लिए व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) प्रशिक्षण।
कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएँ	लो बैंडविड्थ, कमजोर इंटरनेट, सीमित मोबाइल नेटवर्क रेंज, तथा ऑफलाइन साझा करने में कठिनाइयाँ (जैसे ब्लूटूथ, एसडी कार्ड या पेनड्राइव में समस्या)।
सामग्री की प्रासंगिकता	स्क्रिप्ट लेखन के दौरान किसानों की फीडबैक प्रक्रिया को शामिल करना।
भाषायी और सांस्कृतिक अंतर	स्थानीय सहभागिता को प्रोडक्शन प्रक्रिया में सम्मिलित करना।

सर्वोत्तम व्यवहार और सुझाव (Best Practices and Tips)

- वीडियो की अवधि संक्षिप्त रखें (3 से 5 मिनट)।
- प्राकृतिक परिवेश में फिल्मांकन करें, न कि कृत्रिम रूप से बनाए गए दृश्यों में।
- वीडियो की शुरुआत किसी प्रश्न, समस्या या स्थानीय आवाज़ से करें—जो दर्शकों को जोड़ सके।
- व्यापक प्रसार से पहले, वीडियो को एक छोटे समूह के साथ परीक्षण करें।
- प्रतिक्रिया एकत्र करें और समय-समय पर सामग्री को अद्यतन करते रहें।

अध्ययन उदाहरण: विस्तार (VISTAAR) परियोजना – भारत का डिजिटल विस्तार मॉडल

विस्तार (VISTAAR) अर्थात Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक प्रवर्तक (pioneering) पहल है, जिसका उद्देश्य आईसीटी (ICT)-आधारित उपकरणों के माध्यम से कृषि विस्तार को सुदृढ़ करना है।

यह परियोजना 10 पायलट राज्यों—आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, असम और बिहार—में लागू की जा रही है।

विस्तार (VISTAAR) परियोजना के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

- लघु वीडियो, मोबाइल-आधारित सामग्री और क्षेत्र-विशिष्ट संदेश के माध्यम से किसानों तक प्रभावी रूप से पहुँचना।
- सामग्री का स्थानीयकरण, ताकि भाषा एवं सांस्कृतिक उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके।
- कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स की डिजिटल क्षमता का निर्माण, ताकि वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकें।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स और सामुदायिक स्क्रीनिंग्स के माध्यम से संरचित प्रसार सुनिश्चित करना।
- विस्तार (VISTAAR) यह दर्शाता है कि किस प्रकार आधुनिक वीडियो तकनीकों को संस्थागत समर्थन के साथ जोड़कर कृषि विस्तार को समावेशी, मापनीय और प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

वीडियो-आधारित विस्तार केवल एक संचार माध्यम नहीं, बल्कि कृषि परिवर्तन का एक प्रेरक उपकरण है।

सुलभ तकनीकों और रचनात्मक निर्माण तकनीकों के माध्यम से, कृषि विस्तार प्रैक्टिशनर्स अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं, किसान समुदायों से प्रभावी संवाद स्थापित कर सकते हैं, और पूरे देश में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

प्राकृतिक कृषि पद्धतियों में एफपीओ और संघों को बढ़ावा देना

डॉ. बढिया वेंकट राव
सहायक निदेशक
मैनेज, हैदराबाद
ईमेल : bvrao@manage.gov.in

डॉ. कनका दुर्गा, सहायक निदेशक, डॉ. के. सि. गुम्मगोलमठ, निदेशक (एम व ई), मैनेज, हैदराबाद

हरित क्रांति भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसने देश को भोजन की कमी वाले राष्ट्र से अधिशेष वाले राष्ट्र में बदल दिया। हालाँकि, उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईभी) और संकरों के गहन उपयोग से, जो भारी बाहरी इनपुट के प्रति संवेदनशील थे, कई प्रतिकूल परिणाम हुए, जिनमें उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जैव विविधता का नुकसान, भूजल का अत्यधिक दोहन और बढ़ती खेती लागत शामिल है। समय के साथ, उच्च इनपुट के प्रति फसलों की घटती प्रतिक्रिया के कारण उत्पादकता में ठहराव या गिरावट आई, जिससे किसान समुदाय में संकट पैदा हुआ।

हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, जैविक खेती एक स्थायी विकल्प के रूप में उभरी। स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य विकल्पों के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के कारण जैविक खेती को लोकप्रियता मिली। यह फसल चक्र, खाद बनाने और जैविक कीट नियंत्रण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर जोर देती है। 2021 के एफआईबीएल सर्वेक्षण के अनुसार, भारत जैविक कृषि का अभ्यास करने वाले 187 देशों से एक अद्वितीय स्थान है, जहाँ दुनिया के 30 प्रतिशत जैविक उत्पादक हैं और 2.30 मिलियन हेक्टेयर जैविक कृषि भूमि शामिल है।

वर्तमान में, प्राकृतिक खेती पारंपरिक और जैविक खेती के एक और व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरी है। यह एक रसायन-मुक्त, पारंपरिक कृषि पद्धति है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करके कृषि-पारिस्थितिकी को बढ़ावा देती है। प्राकृतिक खेती से खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है, जबकि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और मिट्टी के कार्बनिक कार्बन में वृद्धि होती है, इस प्रकार यह कम कार्बन पदचिह्न के साथ स्थायी कृषि में योगदान करती है।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई भारतीय राज्यों ने प्राकृतिक खेती पद्धतियों को अपनाया है। वर्तमान में, भारत में 6.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्राकृतिक खेती के अधीन है। इस पद्धति को केंद्र प्रायोजित परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (बीपीकेपी) के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। प्राकृतिक खेती को आमतौर पर छोटे पैमाने पर शुरू किया जाता है, जो किसानों की स्वीकार्यता और सकारात्मक परिणामों के आधार पर धीरे-धीरे फैलता है।

किसानों के उत्पाद को इकट्ठा करने, ब्रेडिंग और बाजार तक पहुंच बनाने और प्रशिक्षण व आवश्यक संसाधन प्रदान करने की अपनी क्षमता के कारण, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन के अनुसार, दिनांक 30 सितंबर, 2024 तक, भारत में कुल 44,458 एफपीओ बनाए गए हैं। हालांकि, इनमें से केवल कुछ ही एफपीओ जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। एफपीओ के माध्यम से सामूहिक दृष्टिकोण मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर लाभ उत्पन्न कर सकता है, जिससे ऐसी प्रथाएं अधिक व्यवहार्य और प्रभावशाली बनेंगी। यह लेख प्राकृतिक खेती का अभ्यास करने वाले एफपीओ की सफलता की कहानियों के कुछ अंशों पर प्रकाश डालता है।

प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों का केस स्टडी :

देव भूमि नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड (डीएनपीपीसीएल)

देवभूमि नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड (डीएनपीपीसीएल) एक समुदाय-स्वामित्व वाली किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) है जो उत्तराखंड के दूरदराज के गांवों में रेशम उत्पादन, जैविक शहद, जैविक मसाले और पर्यावरण-पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देती है। यह एक सफल कृषि-व्यवसाय मॉडल के रूप में कार्य करती है, जो छोटे किसानों के बाजार-उन्मुख विकास को सक्षम बनाती है। डीएनपीपीसीएल अपने 4,000 शेयरधारकों के साथ 8,500 प्राथमिक उत्पादकों के के लिए एक साथ मिलकर काम करती है। कंपनी का वार्षिक कारोबार ₹2.5 करोड़ और चुकता पूंजी ₹1.20 करोड़ है।

डीएनपीपीसीएल मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में प्राथमिक उत्पादकों का समर्थन करती है। यह आवश्यक बुनियादी ढाँचा विकसित करती है ताकि सदस्य केवल कच्चा माल उपलब्ध कराने तक ही सीमित न रहें। जैविक मसालों, शहद उत्पादन और रेशम उत्पादन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने जैसे नवीन उपायों के कारण किसानों को अब उनके उत्पादों के लिए बेहतर दाम मिलते हैं। कंपनी अपने उत्पादों का विपणन 'देवभूमि'

ब्रांड नाम के तहत करती है, जिससे किसानों की उपज को व्यापक दृश्यता और विश्वसनीयता मिलती है।

यह समग्र दृष्टिकोण न केवल किसानों की आय बढ़ाता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। समान दृष्टिकोण साझा करने वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को उचित स्तरों पर संघ बनाने और अपनी व्यवहार्यता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्यों की रणनीति बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए।

सुसाग मिलेट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आंध्र प्रदेश

श्री शारदा वैली डेवलपमेंट समिति (एसवीडीएस), एक गैर-लाभकारी संस्था हैं जिसने ने इस किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) को बढ़ावा दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मिलेट की खेती और मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयरधारक बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, एफपीसी गांव-स्तर पर बैठकें आयोजित करती है और जैव विविधता उत्सव मनाती है ताकि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मिलेट की भूमिका पर जोर दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, कंपनी एफपीओ को बाजार संपर्क स्थापित करने में सहायता करती है।

अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ, एफपीसी (एफपीसी) ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, स्थानीय बाजारों और गाँव की दुकानों के पास खुदरा आउटलेट स्थापित करके अपने मूल्य-वर्धित मिलेट उत्पादों का सफलतापूर्वक विपणन करती है। इसके सदस्यों की उपज और प्रसंस्कृत उत्पादों को एक सामान्य ब्रांड नाम के तहत बेचा जाता है, जिससे बेहतर रिटर्न सुनिश्चित होता है।

कंपनी की स्थापना ₹30 लाख की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹12.30 लाख की चुकता पूंजी के साथ की गई थी। इसने 53 गाँवों से 960 महिला सदस्यों (जिनमें 787 आदिवासी क्षेत्रों से हैं) को नामांकित किया है और शेयर पूंजी के रूप में ₹12.30 लाख जुटाए हैं। अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी का टर्नओवर ₹7.25 लाख से बढ़कर ₹43.13 लाख हो गया है। ऐसे मॉडलों को, आदर्श रूप से फेडरेशन (संघ) दृष्टिकोण के माध्यम से, आगे बढ़ाने से उनके प्रभाव और स्थिरता में और वृद्धि होगी।

अधिमलाई पझानागुडियिनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड , तमिलनाडु

अधिमलाई पझानागुडियिनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एपीपीसीएल) की स्थापना वर्ष 2013 में एक गैर-सरकारी संगठन कीस्टोन फाउंडेशन के सहयोग से हुई थी। इसका स्वामित्व तमिलनाडु के नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व (एनबीआर) के स्वदेशी समुदायों के पास है। किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने, बाजार के उतार-चढ़ाव को कम करने और एक कुशल विपणन प्रणाली स्थापित करने के लिए, कीस्टोन फाउंडेशन इस एफपीओ (एफपीओ) को लगातार सक्रिय सहयोग दे रहा है।

वर्ष 2022-23 तक, कंपनी के पास 1,800 शेयरधारक थे और इसने अतिरिक्त 2,200 गैर-सदस्यों को भी विपणन सहायता प्रदान की। एपीपीसीएल (एपीपीसीएल) कॉफी, काली मिर्च, रेशम कपास, मिलेट, दालें, अनाज, मसाले और फलों की जैविक खेती में लगा हुआ है। सदस्य उचित मौसम के दौरान आस-पास के जंगलों से शहद इकट्ठा करने और लकड़ी के अलावा वन उत्पादों जैसे आंवला, शिकाकाई, रीठा, जामुन और फीनिक्स के पत्तों की कटाई में भी शामिल हैं।

अधिमलाई ने भारत के सबसे बड़े चाय सहकारी संघ, द इंडकोसर्व के साथ साझेदारी की है, और नीलगिरी में पाँच फूड ट्रक लॉन्च किए हैं, जिससे टोडा समुदाय के 10 सदस्यों को रोजगार मिला है। वर्ष 2022-23 में, इस कंपनी ने ₹50 लाख की चुकता पूंजी के साथ ₹2 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। एपीपीसीएल की एक खास विशेषता स्वदेशी प्रथाओं को संरक्षित करने और समुदाय के बीच पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता है।

उमंग-महिला उमंग प्रोड्यूसर कंपनी

उमंग महिला प्रोड्यूसर कंपनी (यूएमपीसी) 200 स्वयं सहायता महिला समूहों का एक महासंघ है, जिसकी स्थापना गंगा नदी बेसिन के समुदायों के लिए सतत आजीविका उत्पन्न करने के लिए की गई थी। यह कंपनी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी आत्मविश्वास बढ़ाने और सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्रों में उनकी

भागीदारी बढ़ाने के लिए निष्ठावान है। यह पारंपरिक मिट्टी और नमी संरक्षण विधियों को पुनर्जीवित करके पारिस्थितिक बहाली को भी बढ़ावा देती है।
इसके अतिरिक्त, सदस्यों को प्रत्येक वर्ष लगभग 5,000 फलों के पेड़ों के पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बेहतर पोषण और पर्यावरण सततता में योगदान मिलता है। उमंग अपने किसान सदस्यों की उपज को हिमखाद्य और कुमाओनी ब्रैन्ड नामों के तहत बेचती है, जिसमें मिलेट, दालें, बीज और फलों के मुरब्बे जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल हैं। उत्तराखंड की लगभग 600 महिला किसान उमंग के माध्यम से अपनी उपज बेचती हैं, जिससे उन्हें बेहतर बाजार पहुंच और उचित मूल्य मिलते हैं।

उमंग का मुख्य शोरूम नैनी गाँव में है, जो रानीखेत कस्बे से 10 किमी दूर 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कंपनी ₹30 लाख का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करती है, और इसके उत्पाद पूरे क्षेत्र में 50 दुकानों और होटलों में बेचे जाते हैं।

भारतीय जैविक किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड (आईओएफपीसीएल) केरल

इंडियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड (आईओपीसीएल) की स्थापना वर्ष 2004 में उन किसानों के एक समूह ने की थी जो अलुवा, केरल स्थित एक ऑर्गेनिक प्रमाणन संस्था, इंडोसर्ट (आईएनडीओसीईआरटी) के माध्यम से ऑर्गेनिक प्रमाणन प्रक्रिया से गुजर रहे थे। अपने ऑर्गेनिक उत्पादों के बेहतर विपणन को सुनिश्चित करने के लिए, इन किसानों ने सामूहिक रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत इस कंपनी का गठन किया। पिछले कुछ वर्षों में, आईओपीसीएल अपने सदस्य किसानों को ऑर्गेनिक उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रदान करने वाली एक व्यापक संस्था के रूप में उभरी है।

यह कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में ऑर्गेनिक और फेयरट्रेड प्रमाणित उत्पादों के विपणन में माहिर है। आईओपीसीएल के पास सुसज्जित प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं जो कोको पाउडर, कोको बटर, चॉकलेट, कोको निब्स, सूखे कोको बीन्स, नारियल का तेल, सूखा नारियल पाउडर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, मसाला पाउडर और कॉफी पाउडर जैसे कई तरह के मूल्य वर्धित उत्पाद उत्पन्न करती हैं। कंपनी इन उत्पादों के निर्यात में भी सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें यूरोप और कनाडा को 300 टन से अधिक उत्पाद भेजे गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, आईओपीसीएल ने ₹536.18 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जिससे करीब 3,780 किसानों को फायदा हुआ और ग्रामीण इलाकों में लगभग 2,827 लोगों को रोजगार मिला। कंपनी की यह उल्लेखनीय सफलता उसकी उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की अटूट निष्ठा, किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और अपने सदस्य किसानों के बीच स्वामित्व और पहचान की मजबूत भावना को बढ़ावा देने के कारण है।

निष्कर्ष:-

ऊपर प्रस्तुत चारों केस स्टडी यह साफ तौर पर दिखाती हैं कि प्राकृतिक खेती के तरीकों को सामूहिक रूप से अपनाने से सभी संबंधित पक्षों को लाभ होता है, जिससे सभी के लिए एक जीत की स्थिति बनती है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के बीच इस सोच को बढ़ावा देना, उन फेडरेशनों की मदद से जो वैल्यू चेन पर ध्यान देते हैं, पैदावार की अनिश्चितताओं से जुड़े खतरों को कम कर सकता है। लेकिन, इस तरीके को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए ध्यान से योजना बनाने और सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे बड़े पैमाने पर फैलाने में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके।

वर्तमान में, मौजूदा एफपीओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 60 प्रतिशत) आकार में छोटा है, जो कम परिचालन पैमाने और अपर्याप्त कार्यशील पूंजी के कारण उन्हें अव्यवहार्य बनाता है। इन छोटे एफपीओ की स्थिरता और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें उचित स्तर पर फेडरेशन में एकत्रित करने की सिफारिश की गई है। उन एफपीओ को विशेष प्रोत्साहन दिया जा सकता है जो विशेष रूप से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें निगरानी प्रणाली विकसित करने, मूल्य संवर्धन और अपनी उपज के विपणन के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती करने वाले एफपीओ को मिलाकर फेडरेशन बनाने से प्राकृतिक खेती का दायरा बहुत बढ़ सकता है, जिससे इस क्षेत्र में और भी एफपीओ बनेंगे। ये फेडरेशन न सिर्फ अलग-अलग प्राकृतिक खेती के तरीकों को एक साथ लाएंगे, बल्कि ज्ञान का एक भंडार भी बनाएंगे। इससे भविष्य के बिजनेस मॉडल के लिए इस तरह की पद्धतियों का मानकीकरण और औपचारिककरण हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त, संघ बड़ी, समेकित संस्थाओं के रूप में काम कर सकते हैं जो ब्रांडिंग प्रयासों को बढ़ाते हैं और राष्ट्रव्यापी बाजार की संभावनाओं को अनलॉक करते हैं। एक एकीकृत मोर्चा बनाकर, वे निर्यात के अवसरों का भी पता लगा सकते हैं, जिससे शेयरधारक एफपीओ और अंततः उनके सदस्य किसानों की आय में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, प्राकृतिक खेती में शामिल एफपीओ के संघ आंदोलन को बढ़ाने, सतत व्यापार मॉडल बनाने और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं।

मैनेज में पोषण पखवाड़ा 2025

डॉ. वीनिता कुमारी
उप निदेशक, जेंडर स्टडीज
मैनेज, हैदराबाद
ईमेल: veenita.k@manage.gov.in

डॉ के. नरेश, अकादमिक एसोसिएट, सुश्री प्रगति शुक्ला, कन्सलटेंट (जेंडर स्टडीज), मैनेज, हैदराबाद
श्रीमती एस यल कामेश्वरी, कन्सलटेंट (जेंडर स्टडीज), मैनेज, हैदराबाद

भारत सरकार के 'पोषण अभियान' के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला 'पोषण पखवाड़ा', देश में पोषण संबंधी जागरूकता को सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसी कड़ी में, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद ने दिनांक 9 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक 'पोषण पखवाड़ा' का आयोजन करते हुए विभिन्न स्तरों पर जन-जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की।
उद्घाटन सत्र: आहार, पोषण और जीवनशैली पर विमर्श

दिनांक 9 अप्रैल 2025 को उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन मैनेज परिसर में किया गया, जिसमें संस्थान के कर्मचारियों को पोषण एवं स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर संबोधित किया गया। इस अवसर पर डॉ. विनीता कुमारी ने पोषण पखवाड़ा' की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, और कुपोषण से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर जानकारी प्रदान की। उन्होंने भारत में पोषण सुधार की दिशा में सामुदायिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोड़ दिया। इसके पश्चात चिकित्सा अधिकारी डॉ. टी. सिंधुरा ने संतुलित आहार की आदतों तथा अस्वस्थ्यकर भोजन के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, विविधता और नियमितता के महत्व को समझाते हुए स्वस्थ आहार चयन के सरल उपाय भी बताए।

हैदराबाद के सरकारी विद्यालयों में पोषण शिक्षा

इस पखवाड़ा के दौरान मैनेज द्वारा हैदराबाद के विभिन्न विद्यालयों में पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 11 अप्रैल 2025 को आंगनवाड़ी केंद्र, शमशाबाद (ग्रामीण) में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, छोटे बच्चे तथा उनकी माताएं शामिल हुईं। इस अवसर पर मैनेज के कर्मचारियों ने 'जीवन के पहले 1000 दिन' की पोषणीय महत्ता पर विशेष बल दिया। माताओं को बताया गया कि शिशु के प्रारंभिक दो वर्षों में पोषण की गुणवत्ता उनके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास की आधारशिला रखती है।

15 अप्रैल 2025 को भारतीय विद्या भवन, एनआईआरडी परिसर, राजेन्द्रनगर में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संतुलित आहार के महत्व, पोषणयुक्त भोजन, स्वस्थ खान-पान की आदतों तथा बाहर के तले-भुने व जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय विद्यालय, श्रीरामपल्ली, हैदराबाद के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में पोषण पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता, संतुलित आहार के घटक, पोषक तत्वों के विभिन्न समूहों तथा घर के बने भोजन के लाभों पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और सही भोजन चयन के प्रति अपनी जागरूकता व्यक्त की।

समापन समारोह: सेवा कर्मचारियों के लिए विशेष सत्र

दिनांक 22 अप्रैल 2025 को मैनेज परिसर में आयोजित समापन समारोह में हाउसकीपिंग और बागवानी कर्मचारियों के लिए एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में उन्हें उपलब्ध संसाधनों में संतुलित आहार कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इस विषय पर व्यावहारिक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसे डॉ. सागर हनुमान सिंह, महानिदेशक, मैनेज ने संबोधित किया। उन्होंने पोषण जागरूकता को प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बताते हुए संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

पोषण पखवाड़ा: जागरूकता से क्रियान्वयन की ओर

'पोषण पखवाड़ा' केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन-जागरूकता से जन-सक्रियता की ओर अग्रसर एक सामाजिक आंदोलन है। मैनेज द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि सही आहार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का मूल है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और जीवन गुणवत्ता का भी आधार है।

संतुलित आहार, विविधता में पोषण, घरेलू भोजन की प्रधानता, और प्रारंभिक जीवन चरणों में पोषण की महत्ता जैसे विषयों पर गंभीरता से विचार-विमर्श कर, इन्हें व्यवहार में लाना आज की आवश्यकता है। जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग – बच्चे, किशोर, माताएं, कर्मचारी – इस दिशा में सचेत नहीं होगा, तब तक 'संपूर्ण पोषण – देश रोशन' का सपना अधूरा ही रहेगा।

मैनेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-2025

सुश्री प्रगति शुक्ला
कन्सलटेंट
जेंडर स्टडीज, मैनेज
ईमेल : pragathi.manage@gmail.com

डॉ. वीनिता कुमारी, उप निदेशक (जेंडर स्टडीज़), श्रीमती एस एल कामेश्वरी, कन्सलटेंट (जेंडर स्टडीज़)

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस वर्ष भी राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान हैदराबाद में उत्साह और प्रेरणा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मैनेज के फैकल्टी सदस्य, सलाहकारगण, और शमशाबाद की प्रगतिशील महिला कृषकों का समूह उपस्थित रहा और कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित डॉ. एम.एस. बामजी, आईएनएसए एमेरिटस वैज्ञानिक, डंगोरिया चैरिटेबल ट्रस्ट, हैदराबाद और पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, डॉ. वीनिता कुमारी, उप निदेशक (जेंडर स्टडीज़) उपस्थित रहीं। उनके साथ श्रीमती मायलाराम सुलोचना, एक प्रगतिशील महिला किसान, ने भी इस अवसर को गौरवान्वित किया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डॉ. वीनिता कुमारी, उप निदेशक (जेंडर स्टडीज़), मैनेज ने महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान पर सारगर्भित विचार साझा किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महिला दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक आवश्यक अवसर है—जिसके माध्यम से समाज महिलाओं के प्रति सम्मान, समर्थन और सराहना व्यक्त करता है। उन्होंने बताया कि आज महिलाएं शिक्षा, कृषि, विज्ञान, तकनीक, उद्यमिता और अन्य सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।

डॉ. वीनिता ने इस बात पर बल दिया कि हालांकि महिलाएं हर मोर्चे पर शानदार कार्य कर रही हैं, फिर भी उनके प्रयासों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यही कारण है कि महिला दिवस जैसे मंच हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें महिलाओं के योगदान को न केवल पहचानना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक रूप से उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को प्रोत्साहन, अवसर और सही मंच उपलब्ध कराना समाज की ज़िम्मेदारी है, ताकि वे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उजागर कर सकें।

अपने प्रेरणादायक संबोधन में डॉ. बम्जी ने समाज में महिलाओं के अमूल्य योगदान की सराहना की और उनके स्वास्थ्य और पोषण की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मिलेट्स (मोटे अनाज), दालें और फलियाँ महिलाओं के बेहतर पोषण और समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने तैलीय खाद्य पदार्थों के सेवन में कटौती करने और दैनिक जीवन में नियमित व्यायाम को अपनाने की सलाह दी।

डॉ. बामजी ने यह भी उल्लेख किया कि आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। उन्होंने समान अवसरों, पर्याप्त सुविधाओं और सहायक नीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया ताकि महिलाएं अपने योगदान को और अधिक प्रभावशाली बना सकें।

यह आयोजन महिलाओं की दृढ़ता, सामर्थ्य और योगदान को सम्मान देने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। स्वास्थ्य, समानता और सशक्तिकरण जैसे विषयों पर सार्थक संवाद स्थापित कर मैनेज ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

पैनल चर्चा: "महिला कृषकों में निवेश – खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि की कुंजी"

महिला सशक्तिकरण और कृषि में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, **मैनेज ने "महिला कृषकों में निवेश – खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि की कुंजी"** विषय पर एक विचारोत्तेजक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

इस सत्र का संचालन डॉ. वीनिता कुमारी, उप निदेशक, मैनेज ने किया। उन्होंने चर्चा की शुरुआत करते हुए यह बताया कि महिला कृषकों की भागीदारी कृषि विकास, ग्रामीण आजीविका और खाद्य प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस पैनल में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया और महिला किसानों के सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए:

- डॉ. एम. एस. बामजी, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) ने कृषि और पोषण सुरक्षा के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महिला किसानों को

संसाधनों, ज्ञान और पोषण-संवेदनशील कृषि तकनीकों तक पहुँच प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

» डॉ. के. अपर्णा, प्रोफेसर एवं हेड, प्रो. जयशंकर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने विस्तार सेवाओं और पाठ्यक्रमों में लैंगिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता बताई।

» सुश्री विजयलक्ष्मी, वरिष्ठ संवाददाता, आकाशवाणी, हैदराबाद ने मीडिया की भूमिका पर चर्चा की और कहा कि महिला किसानों की कहानियों को प्रमुखता से सामने लाना जरूरी है, जिससे उनके योगदान को व्यापक मान्यता मिल सके।

» श्रीमती एस. एम. रेश्मा राज, सहायक निदेशक (कृषि), एफटीसी, राजेन्द्रनगर ने जमीनी स्तर से अनुभव साझा किए। उन्होंने महिला किसानों को भूमि स्वामित्व, ऋण सुविधा और कृषि यंत्रीकरण से संबंधित चुनौतियों के बारे में बताया, और इन मुद्दों के लिए समावेशी नीतियों की जरूरत पर बल दिया।

सभी वक्ताओं ने एकमत से यह स्वीकार किया कि महिला किसानों का सशक्तिकरण केवल न्याय का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास का आधार है। महिलाओं में निवेश — चाहे वह प्रशिक्षण हो, ऋण हो, तकनीकी ज्ञान हो या बाज़ार से जुड़ाव — संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकता है।

सत्र के अंत में प्रतिभागियों के साथ एक इंटरैक्टिव चर्चा हुई, जिसमें जमीनी अनुभवों, नीति सुझावों और सहयोग के अवसरों को साझा किया गया।

खेल और मस्ती: उत्साह, हंसी और टीम भावना से भरे क्षण

उत्सव और सहभागिता गतिविधियों के अंतर्गत, एक जीवंत और आनंददायक "खेल और मस्ती" सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उत्साही संचालन प्रगति शुक्ला और एस. एल. कमेश्वरी द्वारा किया गया। इस सत्र का उद्देश्य था प्रतिभागियों को आपस में जोड़ना, हास्य और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। यह सत्र न केवल दिनचर्या से एक तरोताजा करने वाला विराम साबित हुआ, बल्कि इसने आपसी संबंधों को प्रगाढ़ किया और सामूहिकता की भावना को बढ़ाया। पूरे आयोजन के दौरान गूंजती हँसी, तालियाँ और मुस्कुराते चेहरे इस सत्र की सफलता के प्रतीक थे।

काश वे दिन लौट आते..॥

श्री. गिरजेश जोशी
जनसंपर्क और प्रोटोकॉल अधिकारी (पीआर एंड पीओ)
मैनेज, हैदराबाद
ईमेल: girjesh@manage.gov. in

काश वे दिन लौट आते.. ॥
गांव में नानी का घर
घर में अमरूद का एक पेड़
पेड़ पर पंछियों का आना
अपना घोंसला बनाना।

सुबह नाना के साथ खेत पर जाना
ताजा सब्जी और फल लेकर आना
झरने में दोस्तों के साथ जाकर नहाना
तितली के पीछे दौड़ना, पकड़ना और उड़ाना

वें दिन ना जाने कहां चले गए
पेड़ कट गए, खेत बिक गए
सब जगह मकान खड़े हो गए
हम बड़े हो गए, क्यों बड़े हो गए

वो बीते दिन कितने सुहाने थे
सब अपने थे कोई बेगाने ना थे
आज हम शहर में रहते है
अपने पड़ोसी को नहीं जानते है

काश वे दिन लौट आते
हम फिर बच्चे हो जाते
उसी गांव के घर में फिर जाते
नानी के हाथ की चूल्हे वाली रोटी खाते
काश वे दिन लौट आते,.....

अस्पतालों से परे स्वास्थ्य

डॉ. सिंधुरा तुंगाला
चिकित्सा अधिकारी,
मैनेज
ईमेल : sindhura.tungala@manage.gov.in

जब हम सेहत की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में अस्पताल, दवाइयों का पर्चा और मेडिकल टेस्ट आते हैं। लेकिन, लंबे समय तक अच्छी सेहत की असली नींव हमारी रोज़मर्रा की आदतों में ही छिपी होती है। जो लोग डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, उनके लिए सबसे छोटी और लगातार की जाने वाली आदतें ही सबसे अच्छे सेहत के नतीजे देती हैं।

1. व्यायाम से ज़्यादा गतिविधि

आपको जिम की ज़रूरत नहीं है—बस ज़्यादा घूमें और कम बैठें। थोड़ी देर टहलना, सीढ़ियाँ चढ़ना और हर घंटे स्ट्रेचिंग करना, पीठ दर्द, वज़न बढ़ना और थकान जैसी दीर्घकालिक समस्याओं से बचा सकता है। नियमित रूप से की गई छोटी-छोटी गतिविधियाँ भी शक्तिशाली होती हैं।

2. भोजन: सिर्फ स्वाद नहीं, ईंधन भी

रोजाना खाने की आदतें कभी-कभार मिलने वाले व्यंजनों से ज़्यादा मायने रखती हैं। ताज़े, साधारण, घर के बने खाने को प्राथमिकता दें। पैकेट वाले स्नैक्स और मीठे पेय पदार्थों में कटौती करें और पर्याप्त पानी पिएँ-थकान और एसिडिटी अक्सर हल्के डिहाइड्रेशन के कारण होती है।

3. नींद: मूक उपचारक

नींद शरीर को ठीक करती है और दिमाग को तरोताजा करती है। है। फिर भी हम अक्सर स्क्रीन देखने या देर रात तक काम करने के लिए इसे त्याग देते हैं। प्रत्येक दिन 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें और सोने का समय तय करें। खराब नींद रोग प्रतिरोधक क्षमता, याददाश्त और मनोदशा को प्रभावित करती है।

4. व्यस्त दुनिया में मानसिक शांति

तनाव सिर्फ़ भावनात्मक नहीं होता - यह रक्तचाप, पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। लेकिन इसे प्रबंधित करने के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता नहीं है। गहरी साँस लेना, कोई शौक पालना, धूप सेंकना, या यहाँ तक कि एक शांत विराम भी संतुलन बहाल करने में मदद कर सकता है।

5. स्वास्थ्य संबंधी आदतें जिनकी कोई कीमत नहीं

» अक्सर स्ट्रेच करें, और पर्याप्त पानी पिएँ।
» सुबह की धूप लें, और अच्छी मुद्रा में बैठें।
» जो चीज़ें आपको शांत करती हैं उनके लिए समय निकालें, और रात में स्क्रीन का उपयोग सीमित करें।

एक डॉक्टर के तौर पर, मैं अक्सर पाती हूँ कि लोग क्लिनिक में जो बीमारियाँ लेकर आते हैं, उनकी जड़ संक्रमण से ज़्यादा पुरानी आदतों में होती है। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ रातों-रात नहीं होतीं - वे समय के साथ चुपचाप विकसित होती हैं। सच्चा स्वास्थ्य केवल टेस्ट के नतीजों या दवाइयों से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि हम हर दिन कैसे जीते हैं। रोकथाम घर से शुरू होती है, सरल, लगातार विकल्पों के माध्यम से। अपनी सेहत को हर दिन बनाएँ, और केवल लंबा जीने का लक्ष्य न रखें - बल्कि बेहतर जीने का लक्ष्य रखें।

कृषि कार्टून

डरो मत ! वह जैव - कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है
हमारे जैसे मित्र कीटकों के लिए वह हानिकारक नहीं है !

ए आई टूल्स का उपयोग

MANAGE
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500030, तेलंगाना, भारत
www.manage.gov.in